हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 अगस्त, 2012

खण्ड-2, अंक-3

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 28 अगस्त, 2012

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
इंडियन नेशनल लोकदल तथा शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के निलंबन को रद्द करने का मामला उठाना	(3) 2
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(3) 8
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(3) 21
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां तथा डी.ए.वी. मॉडल स्कूल, सैक्टर 15-A, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन	(3) 22
इंडियन नेशनल लोकदल तथा शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने का मामला उठाना (पुनरारम्भण)	(3) 22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(3) 27

मूल्य : 277

	पृष्ठ संख्या
वाक-आउट	(3) 27
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(3) 28
घातक दुर्घटनाओं/यात्रियों को ढोने के लिए वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों संबंधी	
वक्तव्य—	(3) 28
उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3) 45
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3) 46
याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(3) 46
विधान कार्य—	(3) 47
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2012	
दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012	
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012	
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012	
चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012	
दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन ऑफ अनरैगुलेटड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2012	
दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2012	
दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्पोरेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल, 2012	
दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2012	
दि हरियाणा म्युनिसिपल कार्पोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2012	
दि पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रौड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2012	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(3) 72
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(3) 73

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 28 अगस्त, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 10.00 अपराह्न हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Question Hour.

Number of Tourist Complexes

*** 1192. Shri B.B. Batra :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of tourist complexes being run by the Haryana Tourism Development Corporation;

(b) the steps being taken to improve the condition, standard and maintenance of the infrastructure and to stop the pilferage and to improve the quality in the tourism complexes;

(c) whether the Tourism Development Corporation is running in profit or loss; the loss suffered by the Tourism Development Corporation in the years 2010-2011 and 2011-12;

(d) whether there is any planning of Tourism Corporation to attract more & more tourist in the State; if so, the details thereof; and

(e) the steps being taken by the Tourism Corporation to reconstruct remodel/renovate the Oasis Fast Food Complex and Karna Lake Complex at Karnal ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) :

(a) 43

(b) Facilities in 26 tourist complexes located at Badkhal Lake, Surajkund, Pinjore, Rai, Ambala, Karna Lake Karnal, Bahadurgarh, Panipat, Pipli, Tilyar, Rohtak, Dharuhera, Samalkha, Hodal, Magpie, Faridabad, Panchkula, Hissar, Faridabad Golf Course, Rewari, Morni, Tikkar Tall, Mansa Devi, Pehowa, Bhiwani, Damdama, Yamunanagar and Sultanpur are being improved by carrying out renovations at a cost of Rs. 763.69 lacs during the current year. To stop pilferage and to improve the quality of tourism complexes, system of on line booking of rooms has been introduced. Surprise checks and monthly reviews are conducted from time to time to stop pilferage.

(c) The Tourism Development Corporation has been running in profit during the years 2010-11 and 2011-12;

(d) Yes, Haryana Tourism hosts many festivals to attract tourists. The Annual Surajkund Crafts Mela is held in 1st for night of February to attract domestic and foreign tourists. From the next year *i.e.* February, 2013, the Mela has been named as International Surajkund Crafts Mela. Similarly, the Pinjore Heritage Festival, Mango Mela at Pinjore and Geeta Jayanti at Kurukshetra are hosted every year to promote tourism by showcosing the heritage of the State. Tourist Circuits are being developed with Central Financial Assistance from the Union Ministry of Tourism. The tourist circuit of Pinjore-Kurukshetra-Panipat (Phase-I) has been developed at a cost of Rs. 1301.51 lacs and work on the Phase-II of the circuit is in progress at an estimated cost of Rs. 1545.22 lacs. Similarly, the tourist circuit of Panchkula-Yamunanagar-Poanta Sahib is being developed at a cost of Rs. 3253.06 lacs. As mentioned above the renovations works in 26 tourist complexes at a cost of Rs. 763.69 lacs are being carried out during the current year which is also expected to attract more tourists.

(e) Yes, Facilities at Oasis Fast Food Complex and Karna Lake Complex, Karnal are being improved by carrying out renovations as per requirement and availability of funds. During the last 3 years Rs. 42.45 lacs have been spent at Oasis Fast Food for modernization of Kitchen, restaurant, VIP toilet and creation of two murals. Similarly, Rs. 27.88 lacs have been spent at Karna Lake during the last 3 years for upgradation of kitchen and hall at the first floor. The ice cream parlour, general room, conference hall, VIP lounge, VIP suite and Kitchen at Karna Lake Complex are being renovated during the current year at a cost of Rs. 27.13 lacs. It is proposed to set up a comprehensive tourist resort at the Karna Lake Complex in Karnal. A comprehensive concept plan of the same is being planned.

इंडियन नेशनल लोकदल तथा शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने का मामला उठाना

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ। जिन लोगों को कल हाऊस से निकाला गया था मैं उनके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हैल्दी डैमोक्रेसी के लिए उनको हाऊस में वापिस बुला लिया जाए।

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, they disturbed the Question Hour even on Friday. यह एक नई प्रथा है। विज साहब और इनके विपक्ष के साथी जिनके साथ ये अल्टीमेटली जाने वाले हैं, इन्होंने कल चश्मा बदल कर पहन तो लिया ही था। ये लोग प्रश्न काल को इन्ट्रप्ट क्यों करते हैं? यह एक नई प्रथा है। विज साहब, आप उनके वकील हैं क्या ? क्या आप पाला बदल रहे हैं? क्या आप इण्डियन नैशनल लोकदल के वकील हैं?

Mr. Speaker: You may take up this issue after the Question Hour.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, how he can raise these issues in the Question Hour? He can raise in the Zero Hour. (Interruption)

Mr. Speaker: Mr. Vij, please resume your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सच बात यह है कि विज साहब आज नेम होकर बाहर जाना चाहते हैं ताकि समाचारों के अन्दर खबर बने। कुछ लोग केवल यह निर्णय करके आते हैं कि समाचारों के अन्दर खबर बननी चाहिए। इसलिए वे आएंगे और सदन की कार्यवाही में पहले मिनट से ही व्यवधान डालेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की रवायत बन गई है। विज साहब आप लोग दिल्ली में संसद की कार्यवाही भी इसी प्रकार से रोके हुए हैं और आज फिर यहां पर रोके हुए हैं। इण्डियन नैशनल लोकदल के क्या आप वकील हैं ? क्या आप हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन को छोड़कर जाने वाले हैं ? कल भी आपने अजय सिंह चौटाला का चश्मा पहना था। आपके दिल में तो विज साहब चश्मा है और दूसरी तरफ जो आपके साथी बैठे हैं उनके दिल में कोई और झंडा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में बी.जे.पी. के चार मैंबर्ज हैं सर, चारों की अलग-अलग राय हैं। चार मैंबर्ज में से दो आए हैं और उनकी भी अलग-अलग राय हैं। कोई जनहित कांग्रेस की तरफ भाग रहा है कोई इण्डियन नैशनल लोकदल की तरफ भाग रहा है। परपज केवल एक ही है, कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना। इण्डियन नैशनल लोकदल की वकालत करना और उनका चश्मा पहनना है। इनके दिल के अन्दर और इनकी मंशा अपनी पार्टी को आई.एन.एल.डी. के साथ ले जाने की है। दूसरे साथी एच.जे.सी. की तरफ खींचते हैं। कभी यह अजय चौटाला जी का चश्मा दिल के बजाय अपनी नजरों पर लगा लेते हैं। विज साहब आप आई.एन.एल.डी. के वकील बनना बंद कर दीजिए। जिस प्रकार का उनका उदण्ड और नकारात्मक व्यवहार रहा है आपने खुद भी उसको कंडैम किया। सर, इनको बोलिए, कि यह कम से कम क्वैश्चन ऑवर में व्यवधान डालना बंद करें। सदन की कार्यवाही चलने दें। भारतीय जनता पार्टी संसद के अन्दर भी इसी प्रकार संसद का समय बर्बाद कर रही है और हरियाणा की विधान सभा के अन्दर भी इसी प्रकार विधान सभा का समय भी बर्बाद कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपका हार्ट का ऑप्रेशन हुआ है क्या? कब हुआ है? The doctors may have advised you to keep low volume. I am concerned about your health. You had recently a bye-pass surgery. Please resume your seat. I am concerned about your health.

श्री अनिल विज : जी हाँ सर, हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बार सरकार बदली-बदली नजर आ रही है। सर, आप थोड़ा सा और लीनियन्ट हो जाईए।

Mr. Speaker: Mr. Vij, I am concerned about your health.

श्री अनिल विज : सर, आप विपक्ष को वापस बुलाएं। अगर सदन ऐसे ही चलाना है तो केवल रूलिंग पार्टी को ही बुला लिया करो। विपक्ष को बुलाने की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास उनका कोई मैन्डेट है क्या?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैन्डेट है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : अगर है तो दिखाइये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने जो कहा था वह आज इनके मुँह पर फिर आ गया। इनके पास आई.एन.एल.डी. का मैन्डेट है इन्होंने माना है। क्या इन्होंने इस बारे में कृष्ण पाल गुर्जर जी से राय की, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से राय की?

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप उनसे जाकर पूछ आयें कि are they ready to eat back their words वह लोग पार्लियामैंट और सदन की गरिमा की बात करते हैं, क्या उस गरिमा के तहत वह उन शब्दों को वापिस लेंगे ? क्या वह लोग माफी मांगेंगे ? मुझे कस्टोडियन ऑफ द हाऊस कहा जाता है उन्होंने एक वाल्मीकि सदस्य को जातिसूचक शब्द कहकर उसका अपमान किया। एज ऐ कस्टोडियन ऑफ द हाऊस यह मेरा फर्ज है कि किसी सदस्य को जातिसूचक शब्द न कहे जायें और धमकाया न जाये। आप जिन लोगों की वकालत कर रहे हो आप उनसे पूछकर आयें कि क्या वे माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

Sh. Anil Vij: Sir, I am not advocating anybody. I want to make it clear that I am advocating for the health of democracy.

श्री अध्यक्ष: विज साहब, न आपके पास मैंडेट है, न आपको किसी ने कहा कि उनकी बात को सदन में उठाये। आप हैल्थ ऑफ डैमोक्रेसी की इतनी बात कर रहे हो तो जो उन लोगों ने यहां सदन में आचरण किया क्या आप उसे कंडैम करते हो ? आप हां या ना में उत्तर दीजिये। Have you condemn? Do you approve or condemn? आपका कितना इंट्रस्ट है डैमोक्रेसी में ?

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं ऐसे शब्दों को पसन्द नहीं करता।

Mr. Speaker: Do you approve or condemn? It shows your own character as a politician.

Sh. Anil Vij: Sir, I don't like such harsh words.

Mr. Speaker: Vij ji, harsh words. This is broadbitting of the Chair. Chair can't be broadbitten.

श्री अनिल विज: सर, मैं एग्री करता हूं कि ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विज जी, आपके पास शब्द हैं ही नहीं कि आप ऐसे बर्ताव को कंडैम करें और फिर भी आप यहां पर बड़े-बड़े डैमोक्रेसी के हवाले दे रहे हो।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं कह तो रहा हूं कि मैं ऐसे शब्दों को पसन्द नहीं करता।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप विज साहब को डैमोक्रेसी के बारे में समझाईये।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं कह तो रहा हूं कि मैं ऐसे शब्दों को पसन्द नहीं करता।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप कंडैम क्यों नही करते ? आपका हाऊस में इस तरह का व्यवहार शोभा नही देता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस का दस मिनट का बेशकीमती समय जाया हो चुका है। अनिल विज जी से मेरा अनुरोध है कि ये जाकर उनसे बात कर लें। (शोर एवं व्यवधान) लोकदल की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, आप जायें, उनसे बात कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० संपत सिंह : सर, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि न तो कल विज साहब ने उनके बिहैवियर और कंडक्ट को कंडम किया और न ही आज कर रहे हैं। इन बातों को शब्दों के जाल में फंसाने की क्या जरूरत है। ये केवल "यस" और "नो" कह दें कि Either they are condemning or not? बात खत्म हो गई। उसके बावजूद ये कंडम नहीं कर रहे हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि यह अपमान आपका नहीं हुआ है बल्कि ईच एंड ऐवरी मैंबर का अपमान हुआ है। विज साहब का भी अपमान हुआ है और अगर आदमी अपने अपमान को भी कंडम न करे तो

इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और हो नहीं सकती है। जब तक वे यहां आकर माफी नहीं मांगते तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। स्पीकर सर, चाहे आप फिराखदिली दिखाकर उनको बुला भी लें लेकिन चेयर के प्रति जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनके लिए उन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी और उन्हें हाउस से भी माफी मांगनी पड़ेगी। स्पीकर सर, हम इस बात को टोलरेट नहीं करेंगे और अगर आप बिना माफी मांगे उन्हें बुला लेंगे तो हम जाकर गैलरी में बैठ जायेंगे। यह चेयर का, हम सब मैम्बर्ज का और सारे हाउस का अपमान है। अगर आपका व्यक्तिगत तौर पर अपमान हुआ होता तो हम मान भी लेते। चेयर सबसे बड़ी चीज है अगर चेयर का अपमान करेंगे तो यह डैमोक्रेसी कहां रह जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, 24 अगस्त, 2012 को सैशन का पहला दिन था उस दिन भी चौटाला साहब ने हम सभी सदस्यों की बेइज्जती की थी और हमें बेशर्म कहा था। उसमें हम महिलाएं भी हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी भी यहां हैं। हम सबको बेशर्म कहा, अगर उसी दिन आप उनसे यहां माफी मंगवा लेते तो आज यह पोजीशन नहीं आती और वे आपके प्रति भी ऐसे शब्द न कह पाते। अगर बार-बार आप उन्हें ऐसे ही छोड़ेंगे तो वे आगे चलकर इससे भी ज्यादा वाहियात भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर सर, पिछले एक सैशन के दौरान आपने अनिल विज जी को सस्पैंड किया था तब उन्होंने अनिल विज जी की तरफ से हाउस के अंदर कहा था कि हम हाउस के अंदर विश्वास दिलाते हैं कि वे फिर से ऐसा नहीं करेंगे। (विघ्न) उस दिन जो भी इन्होंने हरकत की, हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इनको बुलाने नहीं गए थे। उन्हीं में से एक मैंबर जाकर इनको बुलाकर लाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हम क्वैशचन ऑवर का समय बर्बाद कर रहे हैं। विज साहब जायें और उनसे बात कर लें। कोई दिक्कत नहीं है। लीडर ऑफ दि हाउस भी कह रहे हैं।

श्री अनिल विज : वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे यह मैं भी कहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मि० विज, आप जाइए और उनसे बात कर आइए। लेकिन वे आकर के सदन से माफी मांगें। मेरी इन शब्दों से न बेइज्जती होती है न इज्जत बढ़ती है। I am what I am. It is the House which has been insulted and Shri Jaiveer Singh is a poor man from Balmiki Community उसको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। (विघ्न) मेरा कोई मतलब नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने कहा था कि वे माफी मांगेंगे। अच्छी माफी मांगी उन्होंने।

श्री अनिल विज : वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे यह मैं भी कहता हूं।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, this is a running dialogue it will never end. Leader of the House has given him offer and he should go and talk to him. Let Shri Om Prakash Chautala and Shri Abhay Singh Chautala come and get reprimanded in the well of the House.

श्री अनिल विज : उन्हें क्या कह कहकर आना है मैं कहकर आता हूं।

Mr. Speaker: First of all Shri Abhay Singh Chautala should come here and get reprimanded for his conduct in the House. Shri Om Prakash Chautala should apologize to the entire House for the words spoken to the Members and assure the Chair that in future he will not repeat such things.(Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : विज साहब आप खुद कह रहे हैं कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। आप खुद भी सुन रहे थे कि उन्होंने क्या कहा है। फिर क्लेरिफिकेशन का क्या है ? He should eat back his words.

Mr. Speaker: Not only this CM Sahib He should not only apologize to the entire House but also promise to the House that he will not misbehave in the House in future. Vij Sahib please go and talk to them.

Public Health Minister (Smt. Kiran Choudhary): Speaker Sir, what happened yesterday in the House was unprecedented. I mean to say that it has never happened in the history of any Assembly that when the Chair asks the leader of the Opposition to withdraw his words, but he instead adds insult to injury and repeats to the Chair that he will not take back his words and emphasises that he will say so a 100 times more. So, Sir this kind of behaviour takes away from the sacrosanctness of this august House. Sir, we should not allow this kind of thing to happen in the House because it is setting a precedent which will be detrimental to the running of the Assembly. This time you have to deal very strictly with these people because democracy is at stake at such unruly behaviour. It is not the question of just you, it is the question of this august Chair that you are occupying. This Chair is not given the due privilege and due honour that is required under Parliamentary norms. I don't think that it would be fit to recall them as one Hon'ble Member of the B.J.P. has requested as it will denigrate the very basis of this august House.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, आने वाले समय में होटल इण्डस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा और हमारे यूथ को बहुत बड़ी इम्प्लॉयमैंट इससे मिलेगी। सबसे पहले तो जितने टूरिस्ट्स शिमला, जयपुर और आगरा जाते हैं अगर हमारे यहां अच्छे एट्रैक्टिव टूरिस्ट प्वायंट होंगे तो हमारे यहां भी टूरिस्ट्स ज्यादा आ सकते हैं। पहले डबचिक टूरिस्ट कम्पलैक्स बहुत अच्छा टूरिस्ट प्वायंट होता था लेकिन आज वहां से गुजर जाएं, यह पता ही नहीं चलता कि वहां पर डबचिक नाम का कोई होटल या मोटल कुछ चल भी रहा है या नहीं। वहां पर एक एट्रैक्टिव और स्ट्रेटैजिक प्वायंट होना चाहिए और सारी फैसेलिटीज वहां पर होनी चाहिए। डबचिक टूरिस्ट कॉम्पलैक्स की इम्प्रूवमैंट करनी चाहिए। जहां तक ओयसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स की बात है तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि दिल्ली से पंजाब, अमृतसर और शिमला को जो ट्रैफिक जाता था उनके लिए हरियाणा टूरिज्म का ओयसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स सबसे वार्मिंग प्वायंट होता था इसलिए उसकी रैनोवेशन के लिए सिर्फ 27 लाख रुपये बहुत कम हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हरेक कंट्री, हरेक स्टेट टूरिज्म पर डिपैंड करने जा रही है। हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से हमें टूरिज्म पर मैक्सीमम थ्रस्ट करना चाहिए और इसके लिए एक स्पैशल बजट और पैकेज का प्रोवीजन करके इसको और ज्यादा फ्लोरिश करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह डिमांड है कि ओयसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स के लिए जो पैसा दिया गया है वह इनसफीशियंट है और डबचिक टूरिस्ट कॉम्पलैक्स की भी इम्प्रूवमैंट होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि टूरिज्म का प्रश्न पर्टीकूलर था कि "Whether there is any planning of Tourism Corporation to attract more and more tourists

in the State........" इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में गवर्नमैंट क्या सबस्टैंशियल स्टैप लेने जा रही है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ओयसिस और डबचिक टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज के बारे में दोनों सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूंगा कि आज टूरिज्म सैक्टर में काफी ग्रोथ आई है। इसके अलावा कन्वैंशन सैंटर, बैंक्वेट्स हॉल में भी काफी ग्रोथ आने की सम्भावना है। यह भी एक जोब ओरियंटिड सैक्टर होने जा रहा है। जोब ओरियंटिड, ग्रोथ ओरियंटिड और नीड बेस्ड ये तीनों चीजें आज के हालात के अंदर जरूरी भी हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने एक नया इनीशिएटिव नए कन्वैंशन सैंटर्ज क्रिएट करने का लिया है। सूरजकुण्ड में एक नया कन्वैंशन सैंटर तैयार कर लिया गया है। तिलयार टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, रोहतक में एक खूबसूरत कन्वैंशन सैंटर बनाया गया है। भिवानी में भी इसी प्रकार से एक कन्वैंशन सैंटर तैयार किया गया है। होडल और धारूहेड़ा टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज जिनकी माननीय सदस्य ने चर्चा की कि वहां बोर्डर ट्रैफिक जाता है, वहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज भी आ गई है। इंडस्ट्रीज के लोग कन्वैंशन के लिए, बैंक्वट हॉल के लिए और छोटे-छोटे एवं बड़े-बड़े गैट टू-गैदर्स के लिए हमारे रिसोर्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए वहां पर भी दो कन्वैंशन सैंटर्स बनाए गए हैं। चूंकि पंचकूला भी इस पूरे रीजन का महत्वपूर्ण भाग है इसलिए लगभग 60 करोड रुपये की लागत से रैड बिशप टूरिस्ट कॉम्पलैक्स के अंदर एक नया कन्वैंशन सैंटर हम और एड करने जा रहे हैं। इसी प्रकार यमुनानगर जोकि उत्तर प्रदेश का गेटवे है और उद्योग धन्धों और विकास के लिए जाना जाता है इसलिए वहां पर भी 5 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से हम एक कन्वैंशन सैंटर बनाएंगे। फ्लैमिंगो टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, हिसार में भी हम 7 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से एक कन्वैंशन सैंटर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम यमुनानगर में लड़के और लडकियों के होस्टल के साथ एक इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाएंगे। फ्लैमिंगों टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, हिसार में ही 20 कमरों का एक और मोटल बनाएंगें क्योंकि वहां से जो सारा ट्रैफिक राजस्थान जाएगा उनके लिए सिरसा और हिसार के ही हमारे ये दो रिसोर्ट्स महत्वपूर्ण हैं इसलिए 5 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से इस मोटल में पार्किंग भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से सुरखाब टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, सिरसा के अंदर भी 12 कमरों का एक मोटल और इसके साथ साथ पार्किंग इत्यादि 3 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से हम बना रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां भी जरूरत है उसके मुताबिक हम टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज एड करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्य के दोनों सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, have you ever thought of exploiting the Tourism potential of Narnaul?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है। नारनौल का भी अपना एक इतिहास रहा है। हरियाणा की पूरी पृष्ठभूमि में नारनौल एक महत्वपूर्ण सैंटर है। आलरेडी आर्कोलोजी और कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का ध्यान नारनौल के ऊपर है। मेरे काबिल दोस्त राव नरेन्द्र सिंह जी इस विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं।

Mr. Speaker: But there is no Haryana Tourism facility in Narnaul. when I went to Narnaul last time, I saw some foreign tourists also there. Only private restaurants and private hotels are catering there.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक फर्दर डिवैल्पमैंट करने का हमारा विचार है। वहां के विधायक हमारे साथी राव नरेन्द्र सिंह जी जो मंत्री भी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में चर्चा भी की थी and the proposal is under active consideration. We hope by the next Session, we will have something more concrete to say.

Mr. Speaker: Hon'ble Minister is similarly any proposal for Ethnic India Tourist Complex in Rai ? There should be a convention centre also because it is in close proximity to Delhi. It is also very close to the industrial Model Town.

Shri Randeep Singh Surjewala: Suggestion noted Sir. Now the education city is also coming almost bank opposite it.

Mr. Speaker: Therefore, we need to have extensive work done in Ethnic at Rai. We must have expansion plan for it.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, Ethnic is one of our finest tourism complexes. This has special infrastructure like huts etc. But the suggestion is very valuable coming from the Chair. It is noted Sir. Subject to our budgetary constraints, we shall look into it on priority.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि करनाल में हरियाणा टूरिज्म का जो ओयसिज टूरिस्ट कॉम्पलैक्स है, फास्ट फूड है और करनाल लेक है, इनके सैनीटेशंज और वहां पर जो बडे-बडे गार्डन हैं क्या उनकी मेनटीनैंस का काम प्राईवेटाईज करने पर सरकार विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहती हूं कि सरकारी विभागों की जो भी कान्फ्रैंसिज या मीटिंग्ज होती हैं, वे प्राईवेट होटल्ज में करते हैं क्या उनको भी सरकार ने हिदायतें दी हैं कि वे अपने नजदीक लगते टूरिज्म के काम्पलैक्सिज में अपनी मीटिंग्ज और कान्फ्रैंसिज करें ? हमारे सरकारी विभाग भी अपने प्रोग्राम प्राईवेट होटल्ज में करते हैं, टूरिज्म के काम्पलैक्सिज में नहीं जाते। हमारे जो सरकारी आफिसर हैं या मिनिस्टर्ज हैं वे भी प्राईवेट होटल्ज में ही जाते हैं इसलिए लोगों पर भी यही इम्प्रैशन पड़ता है कि टूरिज्म के काम्पलैक्सिज की हालत अच्छी नहीं है और वे लोग भी उनमें नहीं जाते। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको हिदायतें जारी की जायें कि प्राईवेट होटल्ज की बजाय वे अपने साथ लगते टूरिज्म के काम्पैलक्सिज और कन्वैशन हॉल्स में ही अपने कार्यक्रम रखें।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अभी हरियाणा टूरिज्म के बहुत सारे रिजोर्ट्स के बारे में सदन के पटल पर जानकारी दी है। इसी संदर्भ में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। हरियाणा में बहुत ज्यादा हिस्टोरीकल मोन्यूमैंट्स और हिस्टोरीकल प्लेसिज नहीं हैं and we have created tourism out of nothing. लेकिन हमारा एरिया राजस्थान के साथ लगता है और हम देखते है कि राजस्थान में बहुत सारे हिस्टोरीकल मोन्यूमैंट्स हैं। वहां की हवेलियों को भी हैरीटेज होटल्ज में कंवर्ट कर रखा है और वहां पर बहुत संख्या में फोर्नर आते हैं। हमारा क्षेत्र महेन्द्रगढ़ और नारनौल राजस्थान के साथ लगता है। कुछ दिनों पहले हमारे वहां पर जो किला है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पी.पी.पी. मोड पर हैरीटेज होटल बनाने के लिए ई.ओ.आई. के शायद निर्देश किए हैं। नारनौल में बहुत सारे हिस्टोरीकल मोन्यूमैंट्स

हैं। मैं समझता हूं कि इन सबको अच्छी तरह से देखकर यदि हैरीटेज में विकसित किया जाता है तो उस एरिया में भी बहुत सारे जो बाहर से टूरिस्ट्स आते हैं उनको को लुभाया जा सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में टूरिज्म के बहुत जबरदस्त मोन्यूमैंट्स हैं जिनको हमारी सरकार विकसित कर रही है। इसमें मेरा सुझाव है कि नारनौल साईड के लिए पिछली योजना में एक प्लान था कि उसको शेखावटी वाक के अंदर इनक्लूड किया जाये। यदि वह एरिया शेखावटी वाक के अंदर भारत सरकार द्वारा इनक्लूड किया जाता है तो पूरे के पूरे जो नारनौल के मोन्यूमैंट्स हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत पुराने हैं, वे भी उसमें आटोमैटीकली आ जायेंगे। जो माधवगढ़ की फोर्ट है वह बहुत ही पुरानी फोर्ट है। वह 16th सैंचूरी की फोर्ट है। वह फोर्ट भी उसके अंदर आ जायेगी और उस पूरे इलाके को शेखावटी वाक की तरह राजस्थान की तर्ज पर बहुत सुंदर तरीके से विकसित किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि उसको दोबारा से रीजूवनेट किया जाये।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने सभी सड़कों के बारे में जिक्र कर दिया। इस बारे में यही सजैशन मैं भी देना चाहता था यह सजैशन आपने देकर बहुत अच्छा किया। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एथैनिक इंडिया के बारे में यह मानता हूं कि यह सरकार का बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट काम्पलैक्स है। उसके अंदर 200 परसैंट तक की बुकिंग चलती है लेकिन एक बात मैं इसकी सर्विसिज के बारे में कहना चाहता हूं। यह काम्पलैक्स हैरीटेज़ टाईप का बनाया हुआ है जिस कारण इसकी सर्विसिज़ उतनी फास्ट और अच्छी नहीं हैं जितनी कि अच्छी और फास्ट होनी चाहिएं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उसकी कैंटीन वगैरह को रैनोवेट करके मॉडर्न बनाया जाये इसके लिए अगर मंत्री जी इस काम्पलैक्स को विज़िट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर मंत्री जी विज़िट करके उसकी सर्विसिज़ को सुधारेंगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। कंवेशन हाल का तो आपने कह दिया, यह भी अच्छी बात है। इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र में यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर लोग भी वहां पर आते हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े लोग भी वहां आते हैं और साथ में यह हाईवे पर भी स्थित है इसलिए यहां पर भी एक कंवैंशन हाल बनाया जाना चाहिए जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि एक रोड को बिलकुल अछूता छोड़ दिया गया है जो कि रणदीप जी की रोड भी है और हमारी रोड भी है, वह रोड है अम्बाला से हिसार और फिर आगे राजस्थान के राजगढ़ और जयपुर तक। इस रोड पर कहीं पर भी कोई ढंग का टूरिस्ट कॉम्पलैक्स नहीं है सिर्फ एक पेहवा का आता है जो कि बाहर एक जंगल में है। इसके अलावा एक नरवाना में था जो कि अब रैस्ट हाऊस में बदल गया है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत जी, सरकार का एक टूरिस्ट काम्पलैक्स कैथल में भी है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, कैथल का शहर के अन्दर हो गया है क्योंकि कैथल में बाई-पास बनने के कारण सभी ट्रैफिक बाहर से जाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड पर कहीं एक अच्छी सी सूटेबल जगह देखकर चाहे वह ओथसिस टाईप का ही हो एक बढ़िया सा टूरिस्ट कॉम्पलैक्स अवश्य बनायें जो कि बहुत अच्छा चलेगा और इससे लोगों को सुविधा भी होगी। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि सूरजकुण्ड के मोटल का एक्सपैंशन वर्क रुका हुआ है। इस मोटल के अंदर काफी कमरे एडीशन किये जा रहे थे जिनकी छतें लग चुकी हैं और दूसरे भी लगभग सारे काम हो चुके हैं उसके बावजूद भी यह बिल्डिंग यूं की यूं ही पड़ी है मुझे इस बात का शक है कि शायद इसका काम एनवॉयरनमैंट एण्ड फॉरैस्ट मिनिस्ट्री के

[श्री सम्पत सिंह]
हस्तक्षेप के कारण रूका हुआ होगा क्योंकि उस पर काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है इसलिए मैं यह चाहता हूं प्रयास करके मंजूरी लेकर और जरूरी अप्रूवल लेकर इस बिल्डिंग के काम को चालू करवाकर इसको पूरा करवाया जाये क्योंकि वहां पर अकॉमोडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। कई बार हम देखते हैं वह आज बड़ी दयनीय स्थिति में है। सरकार का उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा भी हो चुका है।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : स्पीकर सर, जो नये फूड सैन्टर आ गये हैं जैसे मैकडोनल्ज़ हैं और डोमिनल्ज़ हैं, ये छोटे-छोटे शहरों तक पहुंच गये हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या हरियाणा टूरिज्म द्वारा भी इन फूड आईटम्ज़ को अपनी फूड लिस्ट में एड किया जा रहा है ? इसके अलावा मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि जब हम दिल्ली से आते हैं तो करनाल में ओयसिस टूरिस्ट काम्पलैक्स के पास सड़क में कोई भी कट नहीं है। अगर हमें ओयसिस टूरिस्ट काम्पलैक्स के लिए टर्न लेना है तो हमें काफी आगे जाकर मुड़ना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय वहां पर ओयसिस के आस-पास सड़क में कोई कट बनवाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री प्रह्लाद सिंह गिलांखेड़ा : स्पीकर सर, मैं भी आपके माध्यम से एक सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि फतेहाबाद के अंदर सरकार का एक बहुत छोटा सा टूरिज्म सैंटर बना हुआ है जो कि मात्र दो कमरों का है। जैसा कि आप सबको पता है कि फतेहाबाद में जल्दी ही बिजली का परमाणु संयंत्र स्थापित होने जा रहा है जिसमें कम से कम 18000 कर्मचारी होंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से अनुरोध है कि वहां पर एक बहुत अच्छा और बढ़िया टूरिस्ट काम्पलैक्स बनवाने का कष्ट करें ताकि आने वाले समय में उससे आस-पास के लोगों और कर्मचारियों को सुविधा हो। अगर इसका काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने ऐतिहासिक स्थानों के बारे में कहा है इसलिए मैं भी यह कहना चाहता हूं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं के भी बहुत से केन्द्र हैं वहां पर भी टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज़ का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे हमारे फिरोजपुर-झिरका में एक झिर मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है, साथ में वह ऐतिहासिक महत्व भी रखता है और इसके साथ-साथ लोगों की धार्मिक आस्थाओं का भी यह केन्द्र है। यह मंदिर पहाड़ों पर स्थित है अगर ज़मीन भी अवेलेबल है तो वह गवर्नमैंट या फॉरेस्ट डिपार्टमैंट की है। इस प्रकार की जगहों पर भी टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज़ की पॉसीबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाये क्योंकि वहां पर भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सैन्टर विकसित हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस बारे में भी विचार करें ताकि टूरिज्म डिपार्टमैंट इस प्रकार के ऐतिहासिक, प्राचीन और धार्मिक आस्था के केन्द्रों को भी एक्सप्लोर करने के बारे में एक्सरसाईज़ करे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बारे में बहुत सारे साथियों के वैल्यूएबल सुझाव आये हैं। I will try to answer them one by one. श्रीमती सुमिता सिंह जी ने यह पूछा कि करनाल टूरिज्म कॉम्पलैक्स की मेन्टीनैंस और पार्क्स वगैरह की देख रेख, क्या हमने किसी प्राइवेट एजेन्सी को दे दी है या देने वाले हैं ? Sir, the answer is in negative. We have not given the maintenance or the upkeep of parks

to any private agency. It is being maintained by the Department of Tourism. सर, दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या हमने कोई ऐसी हिदायतें दी हैं कि सरकार के जो विभाग हैं या बोर्ड्स, कारपोरेशन्स हैं अगर वे अपनी कन्वैन्शंस या मीटिंग्स करें तो वे ज्यादा से ज्यादा हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन की फैसलिटीज को इस्तैमाल करें। सर, इस बारे में हम पहले ही सभी विभागों को हिदायतें इश्यू कर चुके हैं। It's a valuable suggestion. Government Departments must as far as possible should continue use to facilities of the Haryana Tourism Corporation which are outstanding. We will issue fresh instructions also in this regard. सर, राव दान सिंह जी ने और उसके बाद श्रीमती किरण चौधरी जी ने दोनों ने बड़े वैल्यूएबल सुझाव दिये हैं। Regarding Mahendergarh as well as Madhogarh Fort. सर, ऑलरैडी इन दोनों पर डिसीजन हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूँगा कि महेन्द्रगढ़ फोर्ट और माधोगढ़ फोर्ट दोनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनार्शिप मॉडल पर डिवैल्प करने का निर्णय सरकार ले चुकी है और सरकार यह भी निर्णय ले चुकी है कि ये शेखावटी सॉक का हिस्सा होंगे। इसी प्रकार से नारनौल के विषय में यहाँ पर स्पेसिफिक्ली चर्चा आई थी तथा आपने एक प्वाइंटिड क्वैश्चन पूछा था। नारनौल के लिए म्यूनिसिपल कमेटी ने जमीन दे दी है और वहाँ पर एक टूरिज्म कॉम्पलैक्स डिवैल्प करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनार्शिप मॉडल में इस समय प्रक्रिया जारी है। इस बारे में हमने नगरपालिका से अनुरोध किया था और मंत्री जी को भी हमने कहा था, वह जमीन हमें दे दी गई है। सूरजकुण्ड के बारे में यहाँ श्री सम्पत सिंह जी ने चर्चा की थी। सूरजकुण्ड में जो हमारा काम चला था उस पर आर्कोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऐतराजात के बाद हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और इस समय मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ श्री सम्पत सिंह जी ने यह भी रेज किया कि राई में हमारा जो ऐथनिक रिजोर्ट है जो कि आपके हल्के के आस-पास या उसका हिस्सा ही है, उसमें सर्विसिज एक्सपीडाइट होनी चाहिएं। सर, मैंने वह सजैशन नोट कर लिया है। इसके अलावा आपने यह सुझाव भी दिया कि अम्बाला से हिसार के बीच में पेहवा का टूरिज्म कॉम्पलैक्स जो शहर से बिल्कुल बाहर है, उसको छोड़कर और कोई भी टूरिज्म कॉम्पलैक्स नहीं है। मैं माननीय चौधरी सम्पत सिंह जी को बताना चाहूँगा कि कैथल का टूरिज्म कॉम्पलैक्स जो कैथल में है यह बात तो ठीक है कि वह शहर के अन्दर आ गया है लेकिन वहाँ पर भी अब 6 एडिशनल रूम्स हम लोकल रिक्वायरमैंट के मुताबिक एड कर रहे हैं परन्तु आपका सुझाव वाजिब है। मैं माननीय श्री सम्पत सिंह जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसी रोड पर कहीं न कहीं उकलाना-बरवाला से अम्बाला के बीच में अगर कैथल के आसपास कहीं भी जमीन उपलब्ध हुई तो एक और टूरिज्म कॉम्पलैक्स हम नैशनल हाईवे पर डिवैल्प करने का प्रयास करेंगे। I assure Hon'ble Member for this Sir. इसके साथ-साथ श्री डी.के. बंसल जी ने ओएसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स की चर्चा की और यह कहा कि यहाँ पर एक कट की आवश्यकता है। उनकी बात बिल्कुल सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में श्री सी.पी. जोशी जी, जो यूनियन सर्फेस ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको एक पत्र भी लिख चुके हैं। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) तथा टूरिज्म के अधिकारी इस बात की पैरवी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कट की हमें जल्दी ही सब्जैक्ट टू ट्रैफिक रिक्वायरमैंट सैंक्शन मिल जायेगी। सर, श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेड़ा जी ने जो बताया है कि बहुत जल्दी गोरखपुर में डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गाँधी जी के आशीर्वाद से भारत सरकार एक बड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट जो हरियाणा की तस्वीर बदलेगा, मंजूर हुआ है और जिसमें लगभग 25000 करोड़ रूपये से ज्यादा की इनवैस्टमैंट आयेगी और लगभग

18000 कर्मचारी आयेंगे, वहाँ टूरिज्म कॉम्पलैक्स की बात की है। सरकार ने ऑलरैडी निर्णय कर लिया है वहाँ पर जगह उपलब्ध है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनार्शिप मॉडल में वहाँ पर नया टूरिज्म कॉम्पलैक्स हम डिवैल्प करेंगे। मामला इस समय एक्टिवली सरकार के विचाराधीन है। मूलभूत तौर से इस पर हम निर्णय ले चुके हैं। सर, आफताब अहमद जी ने जो रिलिजियस सर्किट है उसको डिवल्प करने की बात कही, ऑलरेडी कुरुक्षेत्र डवल्पमैंट बोर्ड और टयूरिज्म कॉरपोरेशन और जहां समय-समय पर बजट की स्पोर्ट की भी सरकार से जरूरत पड़ती है तो वहां भी हम इसके बारे में इसको लेकर मुस्तैद हैं और पूरे रिलिजियस सर्किट को हम डिवल्प कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ऑलरैडी कुछ काम हमने इस पर किए भी हैं। जैसे पिंजौर गार्डन और भीमा देवी टैंपल जो हैं यह हैरिटेज इन्सटिच्यूशंज हैं। सर, इन दोनों को हमने ऑलरैडी पिछले सालों के अन्दर डिवल्प किया है और कई नये प्रोजैक्ट इस समय हमारे पास हैं जो हम इस समय टेकअप कर रहे हैं including renovation of fountain channel, ramp, paths, Jal Mahal, cross channel water re-circulation, music system etc. in Yadvindra Gardens at Pinjore.

Mr. Speaker: Thank you.

Sub-Tehsil of Mohna

***1206. Sh. Raghubir Singh Tewatia :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether Mohna in Prithla constituency has been given the status of Sub-tehsil; if so, the time by which it is likely to start functioning as such ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री) : जी, हां।

उप-तहसील मोहना में सितम्बर 2012 से कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

श्री रघुवीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो 19 मार्च, 2011 को हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री की पृथला क्षेत्र के गांव जनौली में रैली हुई थी उसमे यह मुख्य मांग थी कि मोहना को उप तहसील का दर्जा दिया जाये और पृथला को ब्लॉक का दर्जा दिया जाये। इसी बारे में 24 तारीख को मेरा प्रश्न लगा था। लेकिन विपक्ष के साथियों की वजह से उस समय मौका नहीं मिल पाया। मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पृथला क्षेत्र को ब्लॉक का दर्जा दिया है और जो भी हमारी मुख्य मांगें थी चाहे उसमें डाईट की बात थी, चाहे आ.रो.बी. की बात थी, चाहे स्टेडियमों की बात थी, चाहे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के जो 6 करम के 9 रास्ते थे उनकी बात थी, उन सबको मंजूरी दी है। उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और अब केवल यह मांग और रखता हूँ कि मेरे पृथला हल्के में सौ गांव पड़ते हैं और वहां कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है। यह देहाती क्षेत्र है, न वहाँ कोई कस्बा है, न कोई शहर है इसलिए मैंने इसकी वहां रैली में भी मांग रखी थी।

Mr. Speaker : You may send it in writing to the concerned Minister.

श्री रघुवीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली दोबारा फिर रखेंगे और उसमें हमारी पहली मांग यही होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक कन्या महाविद्यालय खोलने की उम्मीद करता हूँ क्योंकि वहां इसकी बहुत जरूरत है। गांव की बहू-बेटियां पढ़ने के लिए दूर जाती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप तो बुकिंग करवा रहे हैं।

To Allow Mining Operations

***1209 Sh. Aftab Ahmed :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allow mining operations in Aravali Ranges of Haryana, Particularly in Mewat District togetherwith what steps taken by the Government to present the matter before the committee appointed by the Apex Court for lifting the ban on mining in the Aravali Ranges ?

Minies & Geology Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

(i) The process of resuming mining operations in Aravalli Hills in the districts of Mohindergarh, Rewari and Dadri Sub-division of Bhiwani District has already been initiated for which Expressions of Interest have been invited for empanelment of Mining Agencies following a process of pre-qualification, based on a pre-determined criteria. It is proposed to invite competitive bids/auctions limited to the pre-qualified agencies in these areas, which is likely to be completed by October-November 2012. However, actual mining operations shall commence only after prior environmental clearances are obtained by the highest bidders from the competent authority.

(ii) As regards resumption of mining in the districts of Faridabad, Gurgaon and Mewat, the matter is still pending before the Hon'ble Supreme Court and any steps for resumption of mining in these areas shall be taken only after the present legal challenges are settled.

(iii) The Central Empowered Committee (CEC) constituted by the Hon'ble Supereme Court has filed reports dated 13-01-2009 and July 2010 in the Hon'ble Supreme Court after detailed deliberations with the State Government. However, final decision on these reports is still awaited.

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, हमारे यहां जो अरावली पहाड़ी की श्रृंखलायें हैं इनकी खदानों से हमारे लाखों आदमियों को काम मिलता था लेकिन इन माईन्स में खुदाई का काम बंद हो गया है। यही श्रृंखलाएं आगे राजस्थान में जाती है। जोकि एक ही पहाड़ का हिस्सा है अलग नहीं हैं। इसी पहाड़ में राजस्थान में तो माईनिंग का काम चल रहा है और हरियाणा के हिस्से में माईनिंग पर बैन लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह माईनिंग कब बंद हुई थी और इनको खुलवाने के प्रयास सरकार द्वारा किये जा रहे हैं या नहीं ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में सैंट्रल एम्पावरमैंट कमेटी ने जो रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की थी उसको परस्यू किया जाए क्योंकि यह लाखों आदमियों के रोजगार का सवाल है। अगर हम कोई मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए या अपने घर बनाने के लिए उस पहाड़ में थोड़ी बहुत भी खुदाई कर लेते हैं तो उस पर भी माईनिंग एक्ट लागू हो जाता है जिसमें बड़े सख्त प्रावधान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस चीज को पूरी गम्भीरता से लेते हुए जल्दी से जल्दी इस मामले को सैटल करवाया जाये

[श्री आफताब अहमद]

और जिससे जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं वे जल्दी से हट जायें और हमारे इलाके में माईनिंग का कार्य शुरू हो जाये जिससे लाखों आदमियों को रोजगार मिल सके। यह हमारा अपना पहाड़ है और हम इसे सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

Mr. Speaker: This is a suggestion, so need not to reply.

Contribution for Metro Rail

***1159 Smt. Kavita Jain, MLA :** Will the Chief Minister be pleased to state : —

(a) The name of the cities of State for which the Government has contributed for Metro Rail together with the amount thereof separately; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Metro Rail upto Sonepat ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) :

(a) The following amount has been contributed by the Government for Metro Rail Projects in the cities given below :—

Gurgaon	-	Rs. 604.00 Crores
Faridabad	-	Rs. 437.07 Crores

Sir, with your permission, I would also inform the Hon'ble Member and the House that the State Government of Haryana will be contributing a total of Rs. 1557.40 crore only for the Fardiabad Metro Railways.

(b) State Government has taken up the matter of Extension of Metro Rail from Narela to Rajiv Gandhi Education City in Sonepat with the Ministry of Urban Development, Government of India.

सर, इसके अलावा मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहता हूं कि एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक निर्णय लिया जाता है क्योंकि पैरीफरी में एन.सी.आर. के मैट्रो रेल का प्रश्न है। इन दोनों गुड़गांव और फरीदाबाद मैट्रो रेल प्रोजैक्ट्स के अलावा जिसमें करीब 2200 करोड़ रुपये की कमीटमैंट केवल स्टेट गवर्नमैंट की है, स्टेट गवर्नमैंट ने एन.सी.आर. एरिया में दो मैट्रो रेल प्रोजैक्ट्स और सैंगशन किये हैं। एक तो मुण्डका से बहादुरगढ़ का प्रौजैक्ट है उसमें दिल्ली मैट्रो जो मुण्डका तक आती है उसको हम बहादुरगढ़ तक एक्सटैंड करेंगे और इसके रूट की लैंथ भी तकरीबन 11 किलोमीटर है और हरियाणा सैगमैंट में 4.8 किलोमीटर इसकी लैंथ होगी। टोटल प्रोजैक्ट 1991 करोड़ रुपये का होगा जिसमें हरियाणा सरकार का कंट्रीब्यूशन 787 करोड़ 96 लाख रुपये का होगा और यह प्रोजैक्ट भी मार्च, 2016 तक पूरा हो जायेगा। इसके अलावा एक और प्रौजैक्ट हमने मंजूर किया है जोकि वह सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गावां तक मैट्रो रेल लिंक की एक्सटैंशन का है। यह गुड़गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुड़गांव तेज गति से तरक्की कर रहा है। इसकी लैंथ 5.1 किलोमीटर है जबकि प्रौजैक्ट कॉस्ट

@ Answered by Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala)

1088 करोड़ रुपये है और रैपिड मैट्रो रेल गुड़गांव इसको इम्पलीमैंट कर रही है। हुड्डा ने सैंट्रल वर्ज के ऊपर और डिपो बनाने के लिए उनको 99 ईयर्स के लिए राईट्स लीज पर दिये हैं और इसकी एवज में आर.एन.जी.एल. ने 5 करोड़ रुपये अपफरन्ट हुडा को दिये हैं और 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 17वें साल से लेकर 35वें साल तक देंगे जिसकी कुल अगर हम कैलकुलेशन करें तो 760 करोड़ रुपये हैं, मैट्रो भी बनेगी और यह सारी राशि भी वह सरकार को आयेगी और मार्च, 2013 यानि की अगले साल तक ही यह प्रोजैक्ट भी पूरा हो जायेगा।

श्रीमती कविता जैन: स्पीकर सर, लास्ट टू लास्ट ईयर गवर्नर स्पीच और बजट में भी सोनीपत में जहांगीरपुरी से कुंडली तक मैट्रो रेल लाने का प्रस्ताव था और उसके बाद एक जवाब में भी था कि राज्य सरकार ने नरेला से राजीव गांधी ऐजूकेशन सिटी,राई तक मैट्रो रेल के विस्तार के लिए शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से बात की है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सोनीपत एन.सी.आर. में लगता है और नेशनल हाइवे नंबर-1 पर स्थित है और बहुत बड़ा ऐजूकेशन हब बनने जा रहा है। सोनीपत में तीन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है कुन्डली, राई और बढ़ई है वहां दिल्ली से काफी सारे कारीगर डेली आते हैं और तकरीबन 50 हजार डेली पैसेंजर्स भी रोजाना सोनीपत से दिल्ली जाते हैं। बिल्डर्स ने भी काफी सारी टाउनशिप वहां बना दी हैं दिल्ली से वहां पर रहने आयेंगे और स्पीकर सर, जैसा कि आपको पता ही है कि गन्नौर में भी एक बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है। स्पीकर सर, इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए हरियाणा में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए सोनीपत में अपार संभावनाएं हैं। अत: मैं जानना चाहूंगी कि क्या इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सोनीपत तक मैट्रो के विस्तार के लिए डी.एम.आर.सी. और हरियाणा सरकार के बीच कोई कंट्रैक्ट साइन किया जाएगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं काबिल सदस्या श्रीमती कविता जैन के सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं और इन्होंने जो सुझाव दिया है, वह बिल्कुल वाजिब है। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का हम मानेसर और पानीपत तक विस्तार चाहते हैं, चाहे वह सरफेस पर आए क्योंकि उसके लिए अभी तक आर.ओ.डब्ल्यू. अवेलेबल है। मैं पहले सोनीपत से रिलेटेड बता देता हूं। दिनांक 17.8.2012 को Chief Secretary of the State has already gone to the Secretary Urban Development Department, Government of India and we also held meeting in this regard and emphasized with the Government of India कि हम बहादुरगढ़ तक इसको ले आए हैं और उसको भी फर्दर ऐक्सटैंड करके झज्जर और रोहतक को भी कनैक्ट करना है। इस तरफ पानीपत और सोनीपत को भी कनैक्ट करना है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से इस बारे में बातचीत आलरेडी चल रही है। हमने प्रोजैक्ट डिजाइन भी किया है। एक आर.आर.टी.एस. के लिए प्रोजैक्ट मानेसर तक और फाइनली रिवाड़ी तक इस सारे एरिया के लिए हमें राइडरशिप चाहिए। जिस प्रकार से औद्योगिक क्रान्ति व डिवैलपमैंट इन एरियाज में हो रहा है चाहे रिवाड़ी, चाहे बावल, चाहे मानेसर, चाहे पानीपत, चाहे सोनीपत, चाहे बहादुरगढ़ हो,पलवल हो, रोहतक,झज्जर हो, सारे एरिया के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट का विस्तार सरकार के विचाराधीन है और हम इसको ऐक्टिवली परश्यू कर रहे हैं। 2200 करोड़ रुपये की राशि के लिए हम आलरेडी कमिट कर चुके हैं इसके अलावा दो और प्रोजैक्ट्स की राशि भी हमने आपको बताई है। हम इस बारे में बहुत जल्द कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह हमारी कमिटमैंट का हिस्सा है।

Shortage of Doctors

***1228. Sh. Ghanshyam Das Garg :** Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) the time by which the shortage of doctors in Chaudhary Bansi Lal General Hospital, Bhiwani is likely to be met out; and

(b) the time by which the CT Scan Machine is likely to be made available in General Hospital of Bhiwani ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

श्रीमान जी,

(क) चिकित्सकों की भर्ती के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। हालांकि चौधरी बंसी लाल सामान्य हस्पताल, भिवानी में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

(ख) वर्तमान में सामान्य हस्पताल, भिवानी में सी.टी. स्कैन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि भिवानी में चौधरी बंसी लाल सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों के 42 स्वीकृत पद हैं उनमें से केवल 12 पोस्टों पर डॉक्टर्स हैं बाकि 30 पद खाली पड़े हुए हैं। तीन डॉक्टर पिछले हफ्ते बाहर से डेपुटेशन पर आए हैं लेकिन 27 डॉक्टरों की पोस्टें अभी खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 25 से 30 पद भी खाली पड़े हैं जिसके चलते सफाई व्यवस्था बहुत प्रभावित है। शौचालयों की सफाई तक नहीं हो पा रही है। अस्पताल में कई अन्य चीजों की कमी है जैसे पंखे बहुत पुराने हो गए हैं, कोई चलते हैं कोई नहीं चलते हैं। जो चलते हैं वह बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। बैड शीट्स चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि हम मैटरनिटी वार्ड की बात करें तो वहां पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है। जच्चा वार्ड में पानी भी उपलब्ध नहीं है। मैटरनिटी वार्ड की जो डॉक्टर है वह भी समय-समय पर रोहतक से आती है। परमानैन्ट डॉक्टर वहां पर नहीं है। एक क्वैश्चन मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूँ कि सीटी स्कैन की मशीनें जो छोटे-छोटे अस्पतालों में दी जा रही हैं क्या चौधरी बंसीलाल जी के नाम वाले अस्पताल में भी इस मशीन को देने का प्रावधान आप करने जा रहे हैं या नहीं ?

राव नरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, जो माननीय साथी श्री घनश्याम दास जी ने चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियों के बारे में बताया है, इसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भिवानी के अस्पताल में 24 चिकित्सक कार्यरत हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पांच पद हैं और 42 पद मैडीकल ओफिसर्ज के स्वीकृत हैं। इन 47 पदों में से 32 चिकित्सकों के पद भरे हुए हैं इनमें दस एस.एम.ओज./स्पैशलिस्ट के पद शामिल हैं। इनमें वे 11 चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं जिनके खिलाफ अनुपस्थिति के कारण अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है। इस प्रकार से 15 चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं। उसके बाद भी सरकार ने हाल ही में 3 चिकित्सा अधिकारियों को वहां पर डेपूटेशन पर लगाया है। शेष पद जो रह गये हैं उनको जो 155 नये चिकित्सा अधिकारी लगा रहे हैं उन में से भरने का प्रयत्न किया जायेगा। दूसरा, इन्होंने पीयन की पोस्ट्स को भरने के बारे में सवाल किया है, उसके बारे में मैं सदन और माननीय सदस्य को बताना

चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आऊट सोर्सिंग पॉलिसी जो सरकार ने मन्जूर की है उसके तहत जो भर्ती की जा रही है उसमें जब भी पीयन और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जायेगी, उस समय उसमें भिवानी के अस्पताल को भी शामिल किया जायेगा। जो मैटरनिटी वार्ड और दूसरे वार्ड के बारे में सुझाव आए हैं निश्चित रूप से उनको भी हम पूरे करेंगे। तीसरा, माननीय सदस्य ने सी.टी. स्कैन की मशीन भिवानी के अस्पताल में देने की बात की है। उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस समय हरियाणा में पंचकुला, सिरसा, करनाल और रेवाड़ी में चार सी.टी. स्कैन मशीनें उपलब्ध हैं। अब पी.पी.पी. मोड के ऊपर जो प्रणाली सरकार लागू करने जा रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि इस उसमें भिवानी के अस्पताल को शामिल करें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रणाली के तहत भिवानी को भी उसमें शामिल कर लिया जायेगा।

Four Laning of Roads

***1240 Sh. Naresh Selwal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a demand was sent to the Government to construct the four lane roads (equipped with lights) from Hansawala to Madanpur and Surewala to Uklana but the construction work has not been started so far; if so, the time by which the construction work of four laning of the aforesaid roads is likely to be started; and

(b) whether it is a fact that the demand was sent to the Government to widen and reconstruct the road from the village Uklana to village Gajuwala; if so, the time by which the said road is likely to be widened and reconstructed ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, road wise position is as under :—

Sr. No.	Name of Road Stretch	Length (in Km.)	Reply
(a)	Hansawala to Madanpur	2.50	No, Sir, Only demand for widening and strengthening was received and not for four laning. However, at this juncture no time frame can be committed.
	Surewala to Uklana	5.80	Yes, Sir. The proposal is under consideration. However, at this juncture no time frame can be committed.
(b)	Village Uklana to village Gajuwala	7.40	Yes, Sir. The demand is being examined. However, at this juncture no time frame can be committed.

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने सूरेवाला से उकलाना रोड जो 5.80 किलोमीटर है, को बनाने की मांग माननीय मंत्री जी से की थी तो इन्होंने मुझे फोन पर ही यह बताया कि आपकी डिमाण्ड को मन्जूर कर लिया है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि वहां पर जो एक्सीडैंट्स होते हैं वे न हों और पब्लिक को इन दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। दूसरा, जो उकलाना से गाजुवाला गांव तक रोड बनाने के लिए मंत्री जी ने मन्जूरी दी है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस रोड पर मेरा अपना गाँव भी पड़ता है। धन्यवाद सर।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा अपनी कांस्टीच्यूएंसी से और दूसरी कांस्टीच्यूएंसीज से रिलेटिड यह सवाल है। काफी लम्बा समय हो गया कि रोहतक से गाँव बहु-अकबरपुर का एन.एच. नं.10 जो 6 लेन का रोड एक्सटैंड हो रहा है इसके बारे में मैंने पिछली विधान सभा में भी एक पर्टीकुलर सवाल पूछा था लेकिन उसका कोई जवाब मंत्री जी की तरफ से नहीं आया था कि यह रोड कब तक पूरा हो जायेगा ? दूसरा बहादुरगढ़ का बाई-पास और खरावड़ से बहु-अकबरपुर का जो रोड का स्ट्रैच है वह कब तक पूरा हो जायेगा और कब तक कमिशंड हो जायेगा क्या मंत्री जी इस बारे में कोई स्पैसिफिक डेट बताना चाहेंगे ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this road is a National Highway and the project is being executed by the National Highway Authority of India. The concessionaire has already gone over the appointed time given for construction. The National Highway Authority of India has proceeded to impose liquidated damages on to the concessionaire. Rest of the details are not handy. If my learned friend would ask a separate question, I can give him more specifics.

श्री आनन्द सिंह दांगी: स्पीकर सर, मेरा गांव मदीना जो नेशनल हाईवे नं० 10 पर पड़ता है, वहां पर भी फोर लेन रोड बनाने के लिए मैंने पिछले सैशन में भी मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी क्योंकि मदीना भी 25000-30000 की आबादी वाला गाँव है और रोड के दोनों तरफ गाँव की आबादी है वहां पर भी फोर लेन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं फिर से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहु-अकबरपुर गाँव के रोड को 6 लेन किया जा रहा है क्या उसी प्रकार मदीना गाँव के पास भी फोर लेन रोड बनाने का प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है या नहीं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब की यह बात सच है कि मदीना की आबादी कई कस्बों के बराबर है इसलिए वहां पर 4 लैनिंग की आवश्यकता है। इस समय यह इन्फर्मेशन मेरे पास इन हैंड नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पता करके जरूर दांगी साहब को बता दूंगा।

Setting up of Power Sub-Stations at Palari and Nandnaur

***1231. Shri Jai Tirath Dahiya :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33 K.V. Power Sub-Stations at village Palari and Nandnaur (Rai), Sonepat; if so, the time by which aforesaid sub-stations are likely to be set up ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

No Sir.

श्री जयतीर्थ दहिया : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले बिजली विभाग के अधिकारियों ने खुद मुझ से कहा था कि इन गांवों में 33 के.वी.ए. सब स्टेशन लगाने की सरकार की प्रपोजल है

इसलिए इन गांवों की पंचायतों से रैजोल्यूशन भिजवाओ। मैंने दोनों गांवों की पंचायतों से रैजोल्यूशन दिलवा दिए। उन रैजोल्यूशंज के साथ जमीन की फर्द भी मैंने भेजी हुई है। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन आज मंत्री जी कह रहे हैं कि इन गांवों में 33 के.वी.ए. सब स्टेशन लगाने बारे सरकार की कोई प्रपोजल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मंत्री जी के पास पूरी इन्फर्मेशन नहीं आई है। इन गांवों की जमीन की फर्द भी पहुंच गई है और सारे डाक्यूमैंट सरकार के पास पहुंचे हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में दोबारा पता करवाया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल सच है। खेवड़ा में 132 के.वी.ए. सब स्टेशन और ताजपुर में 132 के.वी.ए. सब स्टेशन एप्रूव हो गए हैं। हमने खेवड़ा से पलड़ी के लिए 33 के.वी.ए. सब स्टेशन और ताजपुर से नांदनौर के लिए 132 के.वी.ए. सब स्टेशन जोड़ना है। इनकी प्रपोजल अंडर कंसीडेशन है और उसके लिए हम जमीन देख रहे है। हमें जैसे ही जमीन मिल जाएगी उस पर कार्यवाही शुरू कर देंगे।

Mr. Speaker : Now, the Question Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखा गया
तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Resentment Among Police Personnel's

***1155. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) whether the Government is aware of fact that there is resentment among the Haryana Police Personnels due to their less allowances and unfavourable working conditions; and

(b) if so, the steps being taken by the Government to increase the allowances and also to improve the working conditions of the police personnel's ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) राज्य के पुलिस कर्मचारियों में किसी प्रकार का असन्तोष नही है। वास्तव में पुलिस कर्मचारी पड़ोसी राज्यों के पुलिस कर्मचारियों से अधिक भत्ते ले रहे हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों के निम्नलिखित भत्ते दिनांक 01-01-2009 से बढ़ाए गए जो इस प्रकार है :—

(i) राशनमनी 420/- रुपये से 840/- रुपये (हरियाणा सशस्त्र पुलिस व भारतीय रिजर्व वाहिनी के लिए) और 300/- रुपये से 600/- रुपये अन्य पुलिस यूनिटों के लिए)।

(ii) वाहन भत्ता 60-225/- रुपये से 120-450/- रुपये।

(iii) रख-रखाव भत्ता 50-160/- रुपये से 100-300/- रुपये।

(iv) जोखिम भत्ता 50/- रुपये से 100/- रुपये (सिपाहियों के लिए)।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें निम्नलिखित अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं जो इस प्रकार हैं :—

(i) पुलिस कर्मचारियों को राजपत्रित छुट्टियों में कार्य करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित छुट्टियों में कार्य करने के एवज में दस दिनों का अतिरिक्त अवकाश भी दिया जाता है।

(iii) पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में रियायती यात्रा की सुविधा दी जाती है।

(iv) जिस पुलिस कर्मचारी की अपराधियों के साथ मुठभेड आदि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को दस लाख रुपये व गंभीर अवस्था में घायल होने पर पाँच लाख रुपये दिये जाते हैं।

श्री विनोद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष विधायकों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम जब सैशन अटैंड करने के लिए यहां आते हैं तो अंदर आने के लिए हमें कुछ दिक्कत होती है। हमें अंदर आकर कहा जाता है कि आप यहां उतर जाइए। चाहे बारिश हो या धूप हो हमें उतरने के लिए कहा जाता है और हमारी गाडियों को पार्किंग की इजाजत नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए आप हमारी इस दिक्कत को दूर करवाएं। जो एम.एल.एज. साहेबान यहां आते हैं उनको पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए। जब पार्किंग की बहुत सी जगह खाली भी होती है तब भी हमें कहा जाता है कि आप गाड़ी बाहर ले जाइए और यहां गाड़ी खडी नहीं कर सकते इसलिए आप हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं।

Mr. Speaker : It is hereby ordered that the cars of the MLAs should be given priority in parking within the Assembly premises. All other vehicles shall stay out. MLAs' vehicles have to be given priority. This is the order of the Speaker.

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां तथा डी.ए.वी. मॉडल स्कूल, सैक्टर 15-A, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां की 25 छात्राएं और दो अध्यापकगण और इसी तरह डी.ए.वी. माडल स्कूल, सैक्टर 15 ए., चंडीगढ़ के 25 छात्र, छात्राएं और दो अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए मौजूद हैं। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामना करता हूं।

इंडियन नेशनल लोकदल तथा शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने का मामला उठाना (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी हिदायतों के अनुसार इनेलो के साथियों से बात करने गया था।

श्री अध्यक्ष: आप कहां गए हैं, आप तो यहीं से आ गए हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, गया तो मैं हूं और आप अंदर बैठे कह रहे हैं कि मैं कहां गया हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी हिदायतों के अनुसार मैं इनेलो के साथियों से बात करने गया था। आपने जो कंडीशंज कही थी वह मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा है कि जो शब्द हमने कहे हैं उसके लिए आपने सदन में निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। आप निंदा प्रस्ताव वापस ले लो तो हम अपने शब्द वापस ले लेंगें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बात खत्म होती है और यह बिल्कुल जायज बात है इसलिए उनको बुला लेना चाहिए। (विघ्न) जब शब्द ही वापस हो गए then that is the same. इसमें इतना रिजिड नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वह प्रस्ताव मेरा नहीं बल्कि हाउस का था। I cannot ask the House to withdraw the Resolution that has been passed by the House.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आपने रैजोल्यूशन पास कर दिया तो झगड़ा किस बात का, फिर आप उनको क्यों नहीं बुला लेते ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदार हृदयता दिखाते हुए विज साहब को एक बात कही कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी अपने व्यवहार और गलत शब्दावली के प्रयोग के लिए यहां आकर चेयर और सदन से माफी मांग लें विपक्ष के साथियों को सदन में वापिस बुलाने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी आदमी माफी मांगने से छोटा नहीं, बड़ा होता है और यही हमारे देश की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर आज तक की, रवायत भी है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, क्या उन्होंने आपसे यह कहा है कि वे अपने कंडक्ट के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं ? आप इस बारे में बताईये।

श्री अनिल विज : सर, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कहने तो दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या वे अपनी बात के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं ?

श्री अनिल विज : सर, आप टैक्नीकली देखें जो शब्द उन्होंने कहे थे वे शब्द आपने कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए। ये शब्द अब रिकार्ड में नहीं हैं। You have expunged Sir. सर, आप रिकार्ड निकालकर देख सकते हैं और सदन ने जो रैजोल्यूशन पास किया वह रिकार्ड पर है। आप रैजोल्यूशन को वापस ले लें, वे अपने शब्द वापस ले लेंगे। सर, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी बात भी होगी कि उनको वापस बुला लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, क्या वे सदन से माफी मांगने के लिए तैयार हैं ?

श्री अनिल विज : सर, जब आपने उनके द्वारा कहे गये शब्द कल ही एक्सपंज कर दिए तो आप टैक्नीकली देखें कि जो शब्द एक्सपंज कर दिये गए उस पर रैजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था। आपने एक तरफ तो वो शब्द एक्सपंज कर दिये और दूसरी तरफ रैजोल्यूशन पास कर दिया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विज साहब को हर बात जलेबी की तरह घुमाने की आदत है। ये किसी भी बात को घुमाकर इस तरह से जलेबी बना देते हैं कि वह न इनके समझ में आती है और न किसी और के समझ आती है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने बड़ी उदार हृदयता दिखाते हुए एक बात कही कि चौटाला जी सदन में आयें और अपने व्यवहार के लिए सदन से माफी मांग लें।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, यही कह रहे हैं कि वे लोग अपने कंडक्ट पर शर्मिंदा हैं और माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, पहले ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में आ जायें और वे अपने व्यवहार और शब्दावली के लिए सदन से माफी मांग लें। सदन के नेता ने कहा है कि वे यहां आकर पहले अपने व्यवहार और शब्दावली के लिए खेद प्रकट करें उसके बाद पूरे विपक्ष को बुला लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्री अभय सिंह चौटाला जी का सवाल है इसमें मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अभय सिंह चौटाला जी वाली बात भी करके आया हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा उन्होंने ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कल आप सदन में उसकी विडियो दिखाना चाहते थे लेकिन वह सदन में देखी नहीं गई। सर, उन्होंने यह कहा है कि चाहे हाउस में, चाहे आपके चैम्बर में चार सदस्यों को वह विडियो दिखा दें। यदि उसमें उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो वे सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कल भी वे लोग सदन से भाग गये क्योंकि वे चाहते थे कि वह विडियो सदन को न दिखाई जाये। हमारे एक सम्मानित साथी श्री जयवीर बाल्मिकि जी ने अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कहा और खुद विज साहब इसके चश्मदीद गवाह हैं। इन्होंने भी देखा कि किस प्रकार का चौटाला जी का व्यवहार और आचरण था। वे खुद यहां पर आये और किताबें तथा कागज उठाकर मारने का प्रयास किया। उन्होंने सदन में गालियां दी और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया तथा कल उन्होंने कहा कि मैं तो सीट पर ही बैठा था वैल में आया ही नहीं। ये सब बातें रिकार्ड के अंदर दर्ज हैं। इसका आडियो और विडियो कल का भी हमारे पास है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी आपने अपनी रूलिंग दे दी। वे लोग विडियोग्राफी देखने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें डर लगता था और वे सदन से चेहरा छुपाकर भाग गये। विज साहब की एंग्जायटी तो मैं समझता हूं। इनको चिंता है कि जल्दी बी.जे.पी., आई.एन.एल.डी. के साथ जाये। इनकी चिंता तो वाजिब है। वह तो इनकी चिंता है, यहां सदन की कार्यवाही तो सदन के रूल्ज के मुताबिक चलेगी। गुर्जर साहब का कोई और ओपीनीयन है और विज साहब का बिलकुल कोई और ओपीनीयन है। ये तो अजय सिंह चौटाला जी का चश्मा लगाकर देखते हैं। इन दोनों के ही अलग-अलग विचार हैं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपने वह चश्मा वापस कर दिया या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसे रिमार्क्स करने का कोई अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय,........(विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभी इनमें यही तय नहीं हुआ है कि सदन के अंदर बाहर कौन किसका लीडर है ? अध्यक्ष महोदय, आप ही देखिये दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। (विघ्न) गुर्जर साहब, इतने सीनियर लीडर हैं और बी.जे.पी. के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये उन्हीं की बात नहीं मानते हैं। ये उनके डिसीप्लीन में नहीं हैं। इन पर 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' वाली

कहावत लागू होती है क्योंकि ये घुमाकर बात कर रहे हैं। Sir, first Sh. Abhay Singh has to come in the well of the House and to be reprimanded as directed by you.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, be liberal. The ball is in your court.

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, अनिल विज अपने व्यवहार से सभी को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं पंचायती बना था लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानी गई। यह आपकी बात नहीं मानता इसलिए इसकी भी कोई बात नहीं मानेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल दोस्त विज साहब यह बात कह रहे हैं इन्होंने हाऊस से बाहर पत्रकारों को भी यह कहा है कि अगर इंडियन नेशनल लोक दल के सदस्यों को हाउस में बुलाया जाता है तो उनके व्यवहार के बारे में वह आगे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि अगर ये इंडियन नेशनल लोक दल के सदस्यों को हाउस में वापिस बुलाने की वकालत कर रहे हैं तो इनको हाउस में उनके आगे के व्यवहार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप विज साहब से पूछिए कि उन्होंने बाहर पत्रकारों को क्या कहा है?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आगे की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, विज साहब को आई.एन.एल.डी. का चश्मा लगाने की बहुत ज्यादा जल्दी है। ये आई.एन.एल.डी. की आगे की भी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण पाल गुज्जर साहब तो इनकी बात नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) गुज्जर साहब तो हजका के ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और विज साहब चश्मा लगाये बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की दिक्कत ही यही है कि इनका अध्यक्ष तो ट्रैक्टर पर बैठा है और सदन में बी.जे.पी. के नेता अजय सिंह चौटाला जी का चश्मा लगाये बैठे हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे निर्णय करेंगे ? ये अपने पार्टी अध्यक्ष की बात भी नहीं मानते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, ये चश्मे वाली बात क्या है?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे पास अपना चश्मा है। सर, यहां सभी ने अपना-अपना चश्मा लगाया हुआ है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना चश्मा है। सर, हमारे काबिल मंत्री श्री सुरजेवाला जी ने बोलते हुए अभी एक बात कही कि अनिल विज जी को आई.एन.एल.डी. के साथ जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है। मैं उनको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ जाने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिसके साथ जाना था वह उनके साथ पहले ही चली गई है। इसलिए यहां पर इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली बातें करना ठीक नहीं है जो कि ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से बहुत ज्यादा की जाती हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम अपनी बात पर अडिग हैं। जिनके साथ हमारा समझौता होना था वह हो गया है। इसलिए आप भी अपनी चिंता दूर कर दें।

श्री सतपाल : स्पीकर सर, जब हम हरियाणा विकास पार्टी में थे और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार हरियाणा में सत्तारूढ़ थी तो उस समय हरियाणा विकास पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी सदस्यों को मंत्री बनाया हुआ था लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने हमारी सरकार भी गिरा दी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगो पर कौन विश्वास करेगा ? इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता।

Shri Anil Vij : Speaker Sir, now, this matter should be closed और इंडियन नेशनल लोकदल के साथियों को सदन में वापस बुलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अनिल विज जी ने, जो कि माननीय सदस्य हैं और चौथी बार इस सदन में चुनकर आये हैं, आज डैमोक्रेसी की हैल्थ पर चिंता ज़ाहिर की है और यह भी कहा है कि वे लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं का निर्वहन करना चाहते हैं और यह भी यहां पर सुझाया गया है कि यह लोकतंत्र के हित में है कि जिन माननीय सदस्यों को कल माननीय अध्यक्ष ने सदन से उनके व्यवहार के लिए जाने को कहा उन्हें वापस बुलाया जाये क्योंकि वे अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हैं और अपने द्वारा कहे शब्दों और किए गए व्यवहार के लिए शर्मिंदा हैं। विज साहब, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन में चेयर के खिलाफ कोई माननीय सदस्य बोलता है तो वह सिर्फ चेयर का अपमान नहीं है बल्कि वह समस्त हाउस का अपमान है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य लोकतंत्र की गरिमाओं की बात करते हैं और लोकतंत्र की हैल्थ के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं वे कल कहां थे ? कल आपको बोलना चाहिए था कि सदन के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र की गरिमा, सदन की गरिमा को नहीं बढ़ाता है। जब तक मैं इस सदन का अध्यक्ष हूं, मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं ? यह केवल मात्र उन व्यक्तियों की मानसिकता, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो अपब्रिंगिंग और ऐजूकेशन है, उसको परिलक्षित करता है। उनकी बैकग्राउंड को परिलक्षित करता है, डैमोक्रेसी में उनका कितना विश्वास है, इस बात को दिखाता है, उनका चेयर के प्रति, गरिमाओं के प्रति और स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रति कितना विश्वास है, यह दर्शाता है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कल यहाँ पर कोई और बैठेगा, उधर कोई और बैठेगा और इधर कोई और बैठेगा। इस बात को मानकर चलना कि यह सदन समस्त हरियाणा के लोगों की इच्छाओं का प्रतीक है और यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। मुझे कहा गया कि आप हाउस के करस्टोडियन हैं, मेरा फर्ज है इस हाउस को चलाना। जब मेरा फर्ज इस हाउस को चलाना है तो यह देखना भी मेरा फर्ज है कि किसी सदस्य के प्रति जातिसूचक शब्द न कहे जायें, किसी सदस्य के प्रति आक्रामक रूख न अपनाया जाये। यह देखना भी मेरा काम है कि सदन की इन बैंचिज पर खड़े हो कर लोग नाचने न लग जायें। यह देखना भी मेरा काम है कि सदन की वैल में आकर इस सदन को चलने में बाधा डालने वाले लोगों के प्रति मुझे क्या रूख अपनाना चाहिए। इसलिए जिन लोगों को अपने किए पर, अपने कहे पर जरा सी भी शर्म है तो वे वहीं पर बैठ कर मान लें, मैं तो इसी को मान लूंगा। यह सदन भी मान लेगा। इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया है, उनके बिहेवियर के प्रति कड़ा रूख अपनाया है। उनको माफ करने का काम भी सदन का है और उनको माफ न करने का काम भी सदन का है। इसलिए इस बात पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यगण सदन का और इस चेयर का जो आदेश है उसकी अनुपालना जो सदस्य करेगा वही इस सदन में बैठने का असली हकदार रहेगा अदरवाईज इन परम्पराओं की दुहाई देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members I have received a Calling Attention Motion No. 2 by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA regarding fatal accidents in the State of Haryana and steps taken by the Government to prevent the use of commercial vehicle for carrying passengers. I have admitted it. (Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कॉलिंग अटैन्शन मोशन Regarding resentment against the acquisition of land in District Rewari दिया था। इसके अलावा मेरा एक और Adjournment Motion with regard to former Haryana Minsiter Shri Gopal Kanda, accused of abetting the suicide of former Air Hostess, Geetika Sharma, दिया था इनका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : मैंने इनको डिसअलाऊ कर दिया है। आप अपनी सीट पर बैठिये (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, *****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, *****

Mr. Speaker : Please resume your seat, sit down, this is also not good conduct. You can't do it. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री विज साहब अभी आप लोकतंत्र की गरिमा और हैल्दी डैमोक्रेसी की बात कर रहे थे and now you are violating. Is it your conduct? क्या आपका यह कंडक्ट है, Is this your conduct? I have disallowed them and this is within my power.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमें पूछने का अधिकार तो है ?

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप बैठें।

वाक आऊट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर आपने हमारे किसी भी कालिंग अटैंशन मोशन या एडजर्नमैंट मोशन को एक्सैप्ट ही नहीं करना है तो फिर हमारा यहां पर बैठने का क्या फायदा है ? अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे जो कालिंग अटैंशन मोशन और एडजर्नमैंट मोशन डिसअलाऊ किए हैं। उनके विरोध में हम सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य श्री अनिल विज के कालिंग अटैंशन मोशन/एडजर्नमैंट मोशन को डिस अलाऊ किए जाने के विरोध में सदन से वाक आऊट कर गए)।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब विज साहब बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि यह कई बार विधायक रहे हैं और प्रजातंत्र के हक में और सदन की गरिमा को देखते हुए यह अपने सुझाव दे रहे हैं लेकिन अब मेरे को महसूस हो रहा कि जैसे यह खुद हैं वैसों की यह सिफारिश कर रहे थे। अब जैसा इनका खुद बिहेवियर है वैसे ही बिहेवियर वालों की यह सिफारिश कर रहे थे। मुझसे गलती हो गई जो मैंने विज साहब पर विश्वास किया। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

घातक दुर्घटनाओं/यात्रियों को ढोने के लिए वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों संबंधी

श्री अध्यक्ष : अब श्री बी.बी. बतरा जी अपना कालिंग अटैन्शन मोशन पढ़ें।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, I wants to draw the attention of this August House towards a matter of an urgent public importance that there is a big spurt in the motor vehicular accidents within State of Haryana in last two years. Specify that how many casualties have covered in these total accidents/ fatal accidents ? What steps are being taken by the Government to stop these accidents and what kind of compensation is paid to the families of victims by the State Government? Carrying of the passengers in the commercial vehicle is illegal and is a routine in Haryana. Why the Goernment is not making strict and stringent laws to prevent the carrying of the passengers ? Why these drivers and owners of the vehicles involved in such like offences are not being booked under Section 304-B IPC; culpable homicide not amounting to murder ? Is the Government is intending to bring any amendments in the Criminal Procedure Code for seizer of the vehicles involved in such like accidents? This issue is of very big importance. These unscrupulous drivers and owners are playing with the lives of innocent people.

Therefore, I requests the Government to make a statement on the floor of this House regarding what steps are being taken by the Government to prevent for use of commercial vehicle for such like purpose *i.e.* carrying passengers?

वक्तव्य

उद्योगमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affair Minister will make a Statement.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, these two calling attention notices relate to wide ranging issues pertaining to road safety, accidents, steps taken by the Government to make the roads safer, compensation to the victims of road accidents etc. The replies of Calling Attention Notices No. 2 and 5 have been clubbed together as road safety and better regulation of traffic is the common thread or common denominator to these notices.

Reply to Calling Attention Notice No.2

1. In reply to the calling attention notice 2, it is submitted that though road accidents remain an area of concern for the State Government contrary to the popular perception, the number of causalities/injuries as well as road accidents in

the State of Haryana have shown a declining trend. The statistical table below showing figures for the last 5 years upto 31.07.2012 alongwith the number of persons killed/injured in the State will reveal that there has been no spurt in road accidents/death on account of accidents in the State in the recent past:

Sr. No.	Year	Number of accidents	Number of persons killed	Number of persons Injured
1.	2008	11596	4494	10571
2.	2009	11915	4603	10481
3.	2010	11195	4895	9946
4.	2011	11128	4561	9528
5.	2012 (upto31.07.2012)	5674	2592	5284

During the year upto 31.07.2012, a total of 5674 accidents have occurred in the State as compared to 6024 number of accidents occurred during the same period of the previous year. 73 less number of persons got killed and 418 less number of persons got injured this year upto 31.07.2012 as compared to the same period of the previous year. The above mentioned data clearly depicts that there is no spurt in the motor vehicular accidents in the State of Haryana in the last two years. Infact, the number of accidents is continuously decreasing for the last three years.

2. Compensation amounting to Rs. One Lac is being provided to the family of victims of the Road accident by the State Government under The Rajiv Gandhi Bima Yojna. Besides Motor Accident claims Tribunals have been set up in the entire State where compensation to the victims of accidents is awarded as per law. A part of the compensation is paid by the accused to the victims of his dependents and part by the vehicle owner/insurance companies as per the schedule II appended to the Motor Vehicles Act 1988. Haryana Government has given amount of Rs. 12,91,20,000/- as compensation in 1212 number of cases (including Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna). The data relating to compensation paid by Motor Accident Claim Tribunals and Insurance Companies is not available with the State Government. However, the data from the insurance companies has been already called from the Insurance Companies New India Insurance Co., Ltd., National Insurance Companies Ltd. and Oriental Insurance.

3(a). The Government is taking following steps to reduce the road accidents so that the persons travelling on the roads could feel more safe. The following steps have been taken in this regard: -

(i) 22 Traffic Police Stations and 5 Traffic Police Posts have been established in the State. Force and vehicles have been provided to enforce traffic rules and create road safety awareness.

(ii) 32 High Speed Interceptors have been provided to control the menace of overspeeding vehicles running beyond the prescribed speed limit.

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

During the period from 01.01.2012 to 31.07.2012, 66487 violators have been intercepted and challaned for this offence so far.

(iii) Total 43 Ambulances have been provided for timely medical assistance to the road accident victims.

(iv) Sobriety Checkpoints have been established and sufficient Alco-Censors have been provided to check drunken driving in all districts of the State. During the period from 01.01.2012 to 31.07.2012, 17876 drunken drivers have been detected & challaned.

(v) The menace of over-loading of goods and other important offences are being looked after by the TOs and presently by Secretary, RTA under the overall control of Transport Department. Police help is provided to them as and when demanded.

(vi) Road Safety Awareness campaigns, seminars, painting competitions etc. have been launched throughout the State.

(vii) By associating prominent members of society, namely, ex-servicemen, senior citizens, non-governmental organizations, resident welfare associations, retirees, shopkeepers, transporters, vehicle associations etc., an organization named as Road Safety Organizations (RSOs) was created on 27.10,2009. This organization is working etficienfly in each district and supporting the Police in its road safety awareness campaigns.

(viii) A State Traffic Control Room has been established with the headquarters at Karnal with facilities of accident helpline toll free number 1073 which is functioning round the clock and serves as an important link with the public.

(ix) In addition to the above, over-speeding vehicles, drunken drivers and drivers who are not wearing helmets, not using seat-belts, using mobile phones while driving, over-loaded vehicles with passengers etc. which are being challaned regularly. In the year 2012 from 01.01.2012 to 31.07.2012, 964750 vehicles have been challaned in order to strictly enforce the traffic rules.

(x) Total 16018 Maxi-cabs have been chaelaned *w.e.f.* 01.01.2012 to 31 .07.2012.

3(b)(i) The State Government has done an in-depth analysis of probable causes behind road accidents with the help of PWD, (B&R), Forests, Telecom etc. Departments and identified 1170 accident prone points on the roads in the State. 1001 such points have been identified for PWD B&R, out of which 666 (66.53%) points have already been rectified. 74 points have been identified for Forests Department, out of which 65 (87.84%) points have already been rectified. 27 points

have been identified for Transport Department, out of which 19 (70.37%) points have already been rectified. 64 points have been identified for Electricity Department, out of which 49 (76.56%) points have already been rectified. 4 points have been identified for Telecom Department, out of which 4(100% accidents) points have been rectified. In addition, 1051 points have been identified for necessity of speed breakers, in which 810 (77.07%) speed breakers have already been constructed on various categories of roads of the State.

3(b)(ii) Two Institutes of Driving Training & Research have been established by the State Government at Bahadurgarh and Rohtak in order to provide effective driving training. The third such Institute at Kaithal is near completion and is expected to start functioning soon. In addition to these, another such Institute is being set up in Bhiwani for which financial assistance will be provided by the Central Government. These driving training schools are/would be fully equipped including simulators, and provide training to the citizens which would go a long way in increasing the safety of road users.

4. Depending on the death or injury of the victims, the drivers of the vehicles causing accidents are booked under sections 304A/338/337/336/279 of Indian Penal Code. Section 304B IPC is meant for incidents of dowry death and Section 304 IPC is meant for incidents of culpable homicide not amounting to murder. It may not be legally tenable to apply these sections in cases of accidents. Therefore, no such proposal to amend Cr.P.C. is under consideration of the State Government.

5. As far as seizure and compounding of vehicles is concerned, adequate powers under section 102 of Cr. P.C of 1973, read with section 207 of Motor Vehicles Act, 1988 and Section 25 of the Indian Police Act, have been vested with the police and Transport authorities to search, seize and impound the vehicles plying in contravention of the statutory provision of Motor Vehicles Act, 1988. Nothing further in this direction requires to be done by a way of an amendment in prevalent law.

6. With regard to carrying passengers by goods vehicles, it is submitted that carrying of passenger vehicles (meant for carrying goods) is an offence under section 192A of the Motor vehicles Act 1988,. The State Government in Transport Department launches a vigorous drive to check this malpractice with the help of police authorities. The menace of carrying passengers in commercial and good vehicles and other important offences under the Motor Vehicles Act 1988 is being looked after by the DTOs and Secretary, RTA under the overall control of Transport Department. Police help is provided to them as and when demanded. Having regard to the congestion of traffic on the road 24x7 flow of traffic, the vast network of National/State Highways and link roads, to eliminate such misuse of commercial vehicles will require cooperation from the public/NGOs and other stakeholders. The State Government is doing its utmost to curb unauthorized use of commercial vehicles (meant for carrying goods) for carrying passengers. The offenders are punishable (for the first offence with a fine which may extend to

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees and for any subsequent offence with imprisonment which may extend to one year but shall not be less than three months or with fine which may extend to ten thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or both. The enforcement agencies keep checking the vehicles and offenders are challaned from time to time.

Reply to Calling Attention Notice No.5

7. In reply to Calling Attention Notice No. 5, it is submitted that para-I foregoing may be read as reply to part No. 5.

8. With regard to the Obstructive Sleep Apnea syndrome in the drivers, it is submitted that unduly long hours of duty, lack of rest and fatigue may cause OSA in the drivers on the road. There are no data or studies available with the Government as to what percentage of accidents are caused by OSA or whether OSA is the main cause of accidents. With regard to welfare and condition of the transport drivers and making mandatory for the owners of commercial vehicles to provide Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) devices to drivers, it is stated that the Parliament has already enacted. The Motor Transport Workers Act, 1961 which provides for matters like medical facilities, welfare facilities, hours of work spread-over, rest periods, overtime for the drivers etc. These provisions are being enforced by the authorities of the Transport Department.

9. Regarding weak eyesight of drivers, it is submitted that camps to check the eyesight of truck and maxi-cab drivers are regularly being organized at different locations with the help of medical professionals to check and rectify their visual deficiencies. Spectacles are provided to them, in case of necessity.

10. Over-speeding is one of the main causes behind the accidents. To control the speed of over-speeding vehicles Interceptors vehicles and Radar Guns have been deployed on main highways. The erring vehicle drivers are being challaned. In the year 2011, a total of 1,06,010 challans and up to 30th June, 2012, a total of 59,779 number of vehicles have been challaned for over-speeding. In addition, for non observance of other traffic rules/laws the following numbers of vehicles have been challaned under various categories:—

Offences	2011	2012 upto June
Drunken Driving	15,736	14,674
Driving Without Helmet	2,47,679	1,76,677
Driving Without Seat Belt	1,03,848	95,069
Using Mobile Phone While Driving	9,718	8,238

11. The steps taken by the Government to reduce accidents have been given in forgoing para-3. More so, para 3(b) (i) and 3(b) (ii) delineate steps taken by the Government to make roads safer and set up training centres for better

traffic awareness among drivers. The Transport Department has made installation of speed governor compulsory in all transport vehicles vide Notification dated 22.11.2010 and 23.8.201 2. Transport Department takes action under the Motor Vehicle Act, 1988 against the operators plying their vehicles with loads over and above the sanctioned limits. Rule 67A of Haryana Motor Vehicle Rules prescribes the age for operation of various types of transport vehicles, which is being strictly enforced.

12. The Transport Department has made installation of speed governors compulsory in all transport vehicles *vide* Notification dated 22.11.2010 and 23.6.2012. Transport Department takes action under The Motor Vehicle Act, 1988 against the operators plying their vehicles with loads over and above the sanctioned limits. Rule 67A of Haryana Motor Vehicle Rules prescribes the age for operation of various types of transport vehicles, which is being strictly enforced.

13. It is once again emphasized that the subject of road safety has to be addressed on a continuous basis because numerous new challenges are thrown up from time to time. Drivers need to have a responsible attitude since the attitude and behaviour of drivers play a major role in road safety. Safe driving habits need to be adopted and practiced continuously. Various stakeholders such as the Government, Local Bodies, NGOs and Civil Society etc. need to work with a wholistic approach to address the issue of road safety. With the efforts being made by the Government, it is hoped that roads in Haryana would be safer in the times to come.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय,जितना ये गंभीर विषय है ऐसा लगता है कि उसको उतनी गंभीरता से मंत्री जी ने नहीं लिया है। काल अटैंशन मोशन की रिप्लाई में अगर एक सैक्शन को 304 की बजाय 304-बी लिखा गया तो उसकी टोटल इवैसिव रिप्लाई हो गई है। आप देखेंगे कि ऐक्सीडैंट के केसिज में कॉमर्शियल व्हीकल्ज में जो पैसिंजर जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं,डैथ हो जाती है, उनकी क्या ऐगोनी होती है। ऐक्सीडैंट के बाद एक लाख रुपया सरकार से मिल गया और एक लाख रुपया राजीव गांधी इंश्योरैंस पॉलिसी के अंदर मिल गया उसके बाद उनको कहीं से भी किसी भी फोरम से इंश्योरैंस का पैसा नहीं मिल सकता है। इंश्योरैंस कंपनीज उसी टाइम उससे बाहर निकल जाती हैं। बस के अंदर पैसिंजर के बैठने की व्यवस्था मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक होती है। उसी के मुताबिक उनकी सेफ्टी होती है, सिटिंग सिस्टम होता है। अब जब एक ट्रक के अंदर बीच में फट्टे लगाकर उसमें लोग जायेंगे तो क्या होगा ? यह ठीक है कि ग्रामीण आंचल की बात को तो मैं समझता हूं लेकिन उस बात के लिए चैक्स न करना अल्टीमेटली उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे ऐक्सीडैंट्स में 29-29 आदमियों की डैथ हो जाती है, 40-40 लोग इकट्ठे मर जाते हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्यों की वेदना को समझना बड़ा ही मुश्किल है। कंपनसेशन न मिलने की वजह से परिवार के सदस्यों के पास गुजारा करने के साधन भी नहीं बचते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। कल प्रोफेसर संपत सिंह ने ठीक कहा था कि ग्रामीण आंचल के जो लोग हैं उनमें से कोई रिलीजियस ट्रिप पर जा रहा है या शादी में जाने के लिए टैम्पो किराए पर बुक करते हैं। उनके लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि 29-29 लोग इकट्ठे ऐक्सीडैंट में मारे जाते हैं और ऐसे केसिज में ड्राइवर के खिलाफ क्या होता है सिर्फ सैक्शन 304 ए के अंदर एक मुकदमा दर्ज

[श्री भारत भूषण बतरा]

होता है जिसमें मैक्सिमम पनिशमैंट 2 साल की है। ऐसे कई ग्लेरिंग इंस्टांस हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के सामने आए हैं। एक आदमी शराब पीकर तेजी से गाड़ी को चलाता है और 8-8 मजदूरों को रौंद कर चला जाता है। अभी अभी संजीव नंदा का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। मुंबई में भी ऐसा हुआ है उसमें पुलिस ने धारा 304 Culpable homicide not amounting to murder लगाई। जब इनको पता है कि जिस वातावरण के अदर आप एक ट्रक में 60-60 आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले जा रहे हैं उनका जब ऐक्सीडैंट हो जाता है उनके खिलाफ धारा 304 Culpable homicide not amounting to murder लगनी चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ी नैग्लीजैंसी है कि कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और व्यवस्था वहीं की वहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातों को चैक करने के लिए सरकार को स्टैप्स लेने चाहिएं। सैकैंडली बात व्हीकल्ज की सीजर और इम्पाउंडिंग की आई। सरकार ने अपने जवाब में लिखा कि सीजर की कोई कंट्राबैंड गाड़ी लेकर जा रहा है, कोई शराब की सप्लाई लेकर जा रहा है या कुछ और लेकर जा रहा है और 29-29, 28-28 और 14-14 आदमियों की इन व्हीकल्ज के अंदर डैथ हो जाती है। वहां पर सरकार उन गाड़ियों को सीज करने का प्रौविजन क्यों नहीं करती है। मंत्री जी बहुत ही अच्छे उच्चकोटि के क्रिमिनल लॉयर रहे हैं। वे जानते हैं कि गाड़ी को इंपाउंड और सीज करने के डिफरैंट प्रौविजंस हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इनको रोकने के लिए सरकार क्या स्टैप्स उठा रही है ? जो लोग गाड़िया चला रहे हैं और जिनकी वजह से एक्सीडैंट्स होते हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जितने भी ड्राईवर्ज गाड़िया चलाते हैं उनके लाईसैंस की एक रेन्डम चैकिंग होनी चाहिए। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और हमारे रोड्ज जो 100-100 फुट के हैं वे बहुत बढ़िया हैं। पिछले चार साल में आप देखेंगे कि on an average 4500 लोगों के ऐक्सीडैंट हुए हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। इस प्रकार एक्सीडैंट्स की वजह से प्रति वर्ष पांच हजार लोगों की एक्सीडैंट की वजह से डैथ हो रही है। आदमी की गलती से या मशीनरी की गलती से एक्सीडैंट हो जाए तो यह मैं मान सकता हूं क्योंकि यह तो रूटीन का फिनोमिना होता है और ट्रैफिक का काफी प्रैशर होता है। लेकिन जो रूटीन में फैटल एक्सीडैंट्स हो रहे हैं और कॉमर्शियल व्हीकल्ज में लोग सवारियां भर कर ले जाते हैं। इनके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट मैयर्स लागू करने चाहिए। इसके लिए हमें कोई न कोई कानून बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि गाँवों में लोग जब खेत में ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाते हैं या ट्रैक्टर ट्राली में फार्म पर लेबर लेकर जाते हैं वह इसमें एक्जैम्पटिड हैं क्योंकि वह किसी के आगे आड़े नहीं आता। अगर इनको आप चैक करेंगे तो उन लोगों को और सुविधा मिल जायेगी और उन लोगों की कम से कम जान तो बच जायेगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, no doubt you are raising a very important point. But at the same time you should be asking a supplementary question.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, इन एक्सीडैंट्स को रोकने के लिए सरकार ने क्या पर्टीकुलर कदम उठाये हैं ?

Mr. Speaker : Your question is, are you going to make a law more stringent?

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, कॉमर्शियल व्हीकल्ज पर पैसैन्जर्ज ट्रैवल न करें। इसके बारे में what effective steps the Government has taken and what is stated in this

particular? इनको एक लाख का कम्पन्सेशन दे दिया जाता है इसकी कोई बात नहीं है। इसके साथ एक और बात है कि ऐसे केसिज में इन्श्योरेन्स कम्पनी तो बाहर हो जाती है लेकिन जो आदमी मर जाता है उस गरीब आदमी के परिवार का क्या होता है इस बारे में मंत्री जी एक्सप्लेन करें।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, My learned Friend has raised three suplementaries.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, there is no dispute with regard to the seriousness of the calling attention motion. Many people are dying on the roads suffering injuries etc. So, we must make the laws more stringent and further steps need to be taken in this regard.

Shri Randeep Singh Surjewala : Hon'ble Speaker Sir, there are no two opinions on this. The roads are in India at large are bigger killer than Acquired Immno Deficiency Syndrome (AIDS) that is a fact that has been repeatedly emphasized so nobody even for a moment is undermining it. I want to assure my learned friend the seriousness of the questio he raised and the issue that he has raised. They are very well-taken. There are three things that he has suggested. He is saying his supplementary No.3 was that where a vehicle is not insured or where the insurance had expired, the insurance company goes out. They go scot-free.

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, इन केसिज में इन्श्योरेन्स कम्पनी तो निकल ही जाती है when a vehicle is plying against the motor vehicle act itself जिसमें गाड़ी की इन्श्योरेन्स पॉलिसी ही परमिट नहीं करती क्योंकि जब आप कॉमर्शियल व्हीकल्ज पर सवारियां बैठायेंगे और एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में इन्श्योरेन्स कम्पनी की कोई लॉयबिलटी बनती नहीं है। अगर ड्राईवर का लाईसैंस बोगस होता है तो वह और बात है तब तो इन्श्योरेन्स कम्पनी लॉयबल है क्योंकि उसमें कान्ट्रैक्ट की बात होती है। लेकिन ऐसे केसिज में इन्श्योरेन्स कम्पनी आसानी से बाहर निकल जाती है।

Shri Randeep Singh Surjewala : He is really raising two faces. Where the vehicle is either not insured, insurance had expired or vehicle is not being used for the purpose for it should be used. Say, a commercial vehicle for carrying passengers which we have seen recent by what should be the fact when insurance company goes out what is the remedy available. I want to point out to him that under the Motor Vehicles Act, the victims or their family members can still move against the owner of the vehicle. That is the law under the Motor Vehicle Act, 1988. Sir, you are very well aware and whenever necessary properties and other assets of such an owner can be attached and sold the payment of compensation. Except for that Parliament so far has not amended the Act to do anything further. Motor Vehicles Act is not a local legislation, it is a National legislation framed by the Parliament. This is so far as the provision as it exists today. He has raised a pertinent point. Why should we not impose 'culpable homicide not amounting to murder' on people who are doing rash and negligent driving by misuser of their vehicles?

Shri Bharat Bhushan Batra: While carrying passengers also.

Shri Randeep Singh Surjewala: Obviously. That is misuser by carrying passengers in commercial vehicles. That is a very valid point. I have noted it. It will require a policy initiative on the part of the Government. I can assure the House and my learned friend that we will seriously examine the issue and see what legislative measures can be taken to protect the life and liberty of such passengers as also take punitive action against such drivers. The second pertinent point that he has raised is that if a vehicle is found carrying contraband why should such vehicle be not seized ? Now that is not really a subject matter of this calling attention notice. But he has raised it incidentally. Now, I can only say this is an issue that has now been raised by my learned friend. It is pertinent but when we consider the other issues, we shall also consider it.

Mr. Speaker: Is it a State Act or a Central Act?

Shri Randeep Singh Surjewala : As I said, Sir, it is an Act framed by the Indian Parliament. It is a Central Legislation and Rules are framed time to time. I said, we will examine all aspects as to how to bring drivers or vehicles into a punitive framework. Of course, Section 192 has various punitive provisions, I am not even referring to that. Parliament has also taken notice of this and they have constituted what they call the 'Sunder Committee' and they are looking at all such aspects of safety and compensation etc. also. What my learned friend raised has been a matter of some debate before the Indian Parliament and they have also noted it and their recommendation have also been circulated to all the State Governments so that a final view can be taken and then Act can also be amended. This is only for information of the House. What we can do at a local level, I will certainly ponder over it. We will examine it.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मोशन और सवाल पिछले बजट में भी हम लोग लेकर आए थे। मंत्री जी ने जवाब देते समय कहा कि फीगर्ज बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देख लें कोई 10, 20 या 30 का फर्क होगा। क्या घट रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं ? इससे हमें एकदम संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और क्या पोजीशन होगी ? वायलेशन जो हुई है इसको आप खुद मान रहे हैं। मेरे ख्याल में कुल मिलाकर 11 लाख वायलेशंज बैठ जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, छोटी सी स्टेट है इसमें 9 लाख 64 हजार 750 तो व्हीकल्ज के चालान हुए हैं। 66 हजार 487 वायलेटर्स के चालान हुए हैं और 17 हजार 876 ड्रंकन ड्राइवर्ज के चालान हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सारी चीजें जोड़ते हैं तो लगभग 11 लाख चालान टोटल बन जाते हैं। इसका मतलब वायलेशन ही वायलेशन है। ये आंकड़े 7 महीने के हैं। इसका मतलब तो साल में इन चालानों की संख्या 20-25 लाख तक चली जाएगी। इसका मतलब वायलेशंज है और वायलेशंज के कारण ही एक्सीडैंटस होते हैं। चाहे रोड सेफ्टी रूल्ज की वायलेशन हो और चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट की वायलेशन हो। इन्हीं वायलेशंज की वजह से ही सब कुछ हो रहा है।

Mr. Speaker: Ask your question.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष इतना बड़ा कालिंग अटैंशन लिखकर दिया है और आपने पढ़ा भी होगा।(विघ्न) सर, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है और इस पर मैं दो बातें कह दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह लाइफ का इशू है।

Mr. Speaker: O.K. Carry on as long as you wish.

प्रो. सम्पत सिंह : धन्यवाद सर। सर, जैसे बतरा जी भी फिग्गर्ज बता रहे थे कि इतने-इतने एक्सीडैंट्स होते हैं और रोजाना इतने लोग मरते हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, सैनीवास गांव में 29 लोग मारे गये। एक कैंटर में 70 सवारियां बैठी थी, इतनी ज्यादा सवारी एक कैंटर में बैठेंगी तो एक्सीडैंट तो होगा ही। दूसरी वहां की स्थिति देखें, मैडम किरण चौधरी जी को इसकी पूरी जानकारी होगी क्योंकि वह इनका एरिया पड़ता है। बुद्धसैली और सैनीवास के बीच में कर्व है और वहां पर मिट्टी के टीले होने के कारण आते समय कुछ नजर नहीं आता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन टीलों को क्रेन आदि से ठीक करवाया जायेगा ताकि भविष्य में ऐसे केसिज की पुनरावृति न हो। वहां के अलावा दूसरी जगहों पर भी टीले हैं जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आता है और एक्सीडैंट्स होते हैं इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए और रोड पर विजन क्लीयर होना चाहिए। मरने वाले 29 लोगों में 10 औरतें और 3 बच्चे भी शामिल हैं तथा 35 लोगों को फैटल इंजुरी थी, ऐसे में बचा कौन ? 29 लोग मारे गये और बाकी के लाईफ टाईम के लिए नकारा हो गये तथा मिला कुछ नहीं। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। जैसा बतरा जी कह रहे थे कि मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान किया जाये, वह किया जाये ठीक है आप पुनिटिव उसमें उसको सजा दें लेकिन वे इसकी मेन वजह नहीं समझ रहे हैं। वह वजह यह है कि हम पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट सर्विस देने में फेल हैं। यदि हम लोगों को प्रोपर बस सर्विस नहीं देंगे तो वे किस साधन से यात्रा करने जायेंगे। मजबूरी में लोग कैंटर आदि में सफर करते हैं। लोग आपकी बसों में जाने के लिए तैयार हैं। यदि कहीं पर हरियाणा रोडवेज की बस के साथ 10 और स्टेट्स की बसें खड़ी हों तो लोग पहले हरियाणा रोडवेज की बस में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन यदि बसें पूरी नहीं होंगी तो लोग किस में बैठकर जायेंगे। यह सोचने वाली बात है कि क्या 3000 बसें प्रदेश के 2.50 करोड़ की आबादी के लिए सैफीशियंट हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं और बार-बार जोर दे रहा हूं कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को ठीक बना लें, चाहे यह मैटर कोर्ट में पैंडिंग है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह मैटर कोर्ट में पैंडिंग है तो बात खत्म हो गई। हम उसको परश्यू करें, यह हमारी ड्यूटी है। हम वैलफेयर स्टेट हैं इस तरफ हमें ध्यान देना ही होगा और इस तरह के एक्सीडैंट्स को रोकना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ड्राईवर्ज की कंडीशंज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। Commercial vehicles are being used for the passengers also यानि दोनों तरह की एक्टीविटीज होती हैं। इसमें कहते हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल्ज की स्टडीज नहीं है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लुधियाना और ऐम्ज की स्टडीज इससे संबंधित आई हुई हैं। मैंने बार-बार जिक्र किया है। कि वे उस किस्म की मशीन यूज करते हैं जो ओ.एस.ए. (Obsessive Sleep Ammonia) बीमारी के लिए होती है। कॉमर्शियल व्हीकल्ज के ड्राईवर्ज पूरी नींद नहीं ले पाते ये बीमारी है जिससे ड्राईज़ूनैस आती है। वे एक दिन में केवल 3 से साढ़े तीन घंटे ही सो पाते हैं इसी वजह से ज्यादातर एक्सीडैंट्स होते हैं। मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं यह ऑल इंडिया वैल्फेयर एसोसिएशन के आंकड़े हैं। इन ड्राईवर्ज की लाईफ भी आम जनता के मुकाबले दस वर्ष कम होती है 38 प्रतिशत लाइफ

[श्री सम्पत सिंह]

कम है और 35-36 परसैंट चालक अधिवाहित हैं। यह इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता ? क्या ये लोग वैल्फेयर में नहीं आते। मैंने इन लोगों के लिए एक मशीन का जिक्र किया था। इस बारे में कहा गया कि भारत सरकार इसको एक्ट में लेकर आ रही है और उसका हवाला देकर उसको नाकाफी बताया। मैं कहना चाहता हूं कि कामर्शियल व्हीकल्ज के मालिकों को कहा जाये कि वे ड्राईवर्ज के लिए सीकपैप मशीन को मैंडेटरी कर दें for commercial transport operators कि वे अपने ड्राइवर्ज को ये मशीन दें ताकि वे ठीक से नींद ले सकें और उनकी सेहत भी ठीक रहे। ये लोग महीने-महीने तक घर से बाहर रहते हैं। अकेले रहने के कारण इनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि की लत लग जाती है जिसकी वजह से नये-नये किस्म की बीमारियां इनको लग जाती हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि Government should be serious about this. केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा। अभी सदन में बताया गया कि पिछली बार इतने चालान कटे थे और अब की बार इतने काट दिए गए। आप चालान करते रहें इससे काम नहीं चलेगा। आपके लोग भरते रहेंगे और उनको कोई नहीं पूछता। एक्सीडैंट होने पर पुलिस भी टाईम पर नहीं पहुंचती। आप कहते हैं कि इतनी गाड़ियां लगा रखी हैं। एक बार मैं स्वयं हिसार से रोहतक की तरफ रात 11 बजे जा रहा था। उस समय गांव बड़ी बहू के पास एक कैंटर उल्टा पड़ा था और वहां 7-8 लोग भी उल्टे हुए थे। मैंने स्वयं पुलिस को फोन किया और बाद में मुझे पता चला कि वे लोग वहां पर तीन घंटे से पड़े हुए थे। खरकड़ा में हाईवे की सिक्योरिटी के लिए दी गई गाड़ी खड़ी भी थी इसके बावजूद भी किसी ने उनको इनफॉर्म नहीं किया। बाद में वे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, आपका शुक्रिया कि आपके कारण उन लोगों को सही समय पर मेडीकल एड मिल गई जिससे वे अब ठीक हैं। मैं अगले दिन उनको मिलने गया तो वे सारे के सारे जीवित थे और बाद में तंदुरुस्त होकर अस्पताल से बाहर आये। इस प्रकार की कई बातें हैं सारे नियम चाहे वे पुलिस से सम्बंधित हैं, चाहे रोड से सम्बंधित है या फिर चाहे किन्हीं दूसरे क्षेत्रों से सम्बंधित हों उनके ऊपर सरकार को सख्ती करनी चाहिए। मैंने पिछले सैशन में सरकार को इस बारे में काफी सुझाव दिये थे लेकिन आज भी मुझे उनका कहीं कोई इम्पलीमैंटेशन नज़र नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप अपना स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछिए।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मैं क्वैश्चन ही पूछ रहा हूं। सर, मैं यह कह रहा हूं कि पिछले सत्र में भी मैंने रोड सैफ्टी बारे में सरकार को काफी सारे सुझाव दिये थे। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे मुझे एक बात ही बता दें कि हमने यह चीज़ नई की है। अगर कुछ नया नहीं किया है तो ये एक्सीडैंट्स होते ही रहेंगे, इनको किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। अगर मंत्री जी ने इस बारे में कोई अमैंडमैंट की है तो स्वाभाविक है कि उसका असर भी पड़ेगा। मंत्री जी ने स्पीड ब्रेकरों की संख्या बताई है कि सरकार ने इतने स्पीड ब्रेकर बना दिये हैं और इतने मंजूर कर दिये हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि स्पीड ब्रेकर तो वैसे भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। हमारी स्टेट में सड़कों के ऊपर स्पीड ब्रेकरों की कोई कमी नहीं है। अगर हम हिसार से फाजिल्का जायें तो एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है लेकिन अगर हम रोहतक से हिसार की तरफ आयें तो हमें 30 किलोमीटर के एरिया में 20 स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनको बनाने की मंजूरी सरकार से ली गई है और क्या ये नॉर्म्ज़ के हिसाब से बने हुए हैं। मैं यह

कहना चाहता हूं कि ये स्पीड ब्रेकर लोगों के शरीर और गाडियां दोनों को तोड़ने के लिए बने हुए हैं और इनका ऐक्सीडैंट्स रोकने से कोई लेना-देना नहीं है बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ये ऐक्सीडैंट्स करवाने के लिए बने हुए हैं। ये फायदे के बजाय नुकसानदेह ज्यादा हैं। कुल मिला कर मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पीड ब्रेकर बनाना सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है कि एक्सीडैंट्स रोकने के लिए हमने इतने स्पीड ब्रेकर बना दिये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम स्पीड ब्रेकर होने चाहिएं। इसका अल्टरनेट यह हो सकता है कि जहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत हो वहां पर स्पीड ब्रेकर न बनाकर रोड के साथ-साथ दोनों साईड में ग्रिलिंग की जाये जो कि ज्यादा ठीक रहेगी। ऐक्सीडैंट्स बचाने का भी यही तरीका है न कि स्पीड ब्रेकर। ये स्पीड ब्रेकर न होकर रोड बैरियर हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ये स्पीड ब्रेकर नहीं हैं ये तो आदमी की बॉडी और गाड़ी ब्रेकर हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो अभी उन्होंने स्टैप्स बताये हैं these are already doing by him. ये तो पहले से किये जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे अलग स्टैप्स आप क्या ले रहे हैं। लोगों को बैटर रोड सर्विस प्रोवाईड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? जब तक सरकार द्वारा लोगों को बैटर सर्विस प्रोवाईड नहीं की जायेगी तब तक ये व्हीकल्ज़ चलेंगे और ऐक्सीडैंट्स भी इसी तरह से होते ही रहेंगे। अगर माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई स्टैप्स उठा रहे हैं तो मुझे भी उनके बारे में बताया जाये। इसके अलावा मार्च के बाद अगर सरकार द्वारा इस मामले में कोई नये कदम उठाये गये हैं तो उनके बारे में भी बताया जाये। धन्यवाद।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल): डिप्टी स्पीकर सर, हम सभी को मालूम है कि यह एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है क्योंकि जब भी किसी परिवार का कोई सदस्य ऐसे किसी ऐक्सीडैंट में संसार से चला जाता है तो प्रभावित परिवार के सदस्यों के मन में जो चोट लग जाती है वह बरसों तक जाती नहीं है। मैं भी मंत्री जी के जवाब को पढ़ रही थी जिसमें मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने 14674 ड्रंकन ड्राईविंग के चालान किये हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि एक तो हम ड्रंकन ड्राईविंग के ऊपर चालान करते हैं और दूसरी तरफ जो ट्रक ड्राईवर्ज़ हैं और जो दूसरे ड्राईवर्ज़ हैं, उनके लिए जगह-जगह हाईवे के ऊपर सरकार द्वारा ठेके खोलने के लाईसैंस दिये हुए हैं जिनके साथ ही साथ शराब पीने के अहाते भी बने हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि ये जो हाइवेज पर ढाबों के साथ शराब के ठेके और अहाते खुले हुए हैं क्या मंत्री जी इनको बंद करने के बारे में भी विचार करेंगे ? इसके अतिरिक्त मैं दूसरी बात मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि अब जो हमारे सभी नैशनल हाईवेज़ हैं उनके ऊपर 4-4 या 6-6 लेन बनी हुई हैं वहां पर फास्ट मूविंग लेन्ज़ हैं और स्लो मूविंग लेन्ज़ हैं लेकिन देखने में यह आता है कि हमारा जो स्लो मूविंग लेन में चलने वाला ट्रैफिक जैसे ट्रक्स, ऑटो वगैरह हैं वह हमेशा ही फास्ट मूविंग में जा रहा होता है और फास्ट मूविंग को वे साईड नहीं देते। अगर उस समय हॉर्न भी बजाया जाये तो वे लैफ्ट साईड से इंडीकेटर दे देते हैं कि आप उधर से अर्थात लैफ्ट साईड से आगे निकल जाओ। इन लोगों के बारे में कहीं भी मैंशन नहीं है कि अगर आप गलत लेन में गाड़ी चलायेंगे तो आपका चालान होगा। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे व्हीकल्ज़ के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा सख्ती हर हाल में होनी ही चाहिए। हम लोग हाईवे पर काफी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के समय एक और चीज़ देखने में आती है और वह यह है कि हाईवे के ऊपर जितने भी वी.आई.पीज़. जाते हैं उनकी गाड़ियां ऑड़ीज़ या इस तरह की और बैस्ट गाड़ियां होती हैं लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं वे मारूति की पुरानी जिप्सीज़ हैं। बहुत से एक्सीडैंट तो इन मारूति जिप्सियों की वजह से होते हैं। अभी हमारे

[श्रीमती सुमिता सिंह]

एक मंत्री जी का भी ऐक्सीडैंट हुआ है और इससे पहले भी हमारे एक मंत्री का एक्सीडैंट हुआ था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनकी गाड़ियों को भी बदल देना चाहिए। हमारी गाड़ियों के आगे जो सिक्योरिटी वाले चलते हैं उनके कारण भी कई बार एक्सीडैंट्स होते हैं। एक दिन मैंने खुद देखा और जो हमारे मंत्री जी थे मैंने गाड़ी रोक कर उनको बताया भी। उनकी सिक्योरिटी में जो जीप आगे चल रही थी उन्होंने एक ट्रक जो बिल्कुल अपनी साइड से जा रहा था उसको दूर हटने में टाईम तो लगता ही है। पुलिस वाले ने मेरे सामने ड्राइवर को डंडा मारा, ये सब चीजें भी गलत हैं। ठीक है जो वी.आई.पी. हैं उनको जगह मिलनी चाहिए लेकिन ट्रक वाले जो वैसे ही बहुत लम्बा सफर तय करते हैं उनके साथ भी इस तरह की नाजायज बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, कई बार जो हमारे एक्सीडैंट्स होते हैं और हमारा मीडिया भी उसके बारे में काफी कुछ लिखता है लेकिन वहाँ पर जो नैग्लीजैंस का पर्चा दर्ज होता है उसी को धारा 304 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह के बहुत इन्सटांस हैं मुझे माननीय मंत्री जी को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सर, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों भिवानी में सैनीवास के पास जो एक्सीडैंट हुआ था जिसमें कैंटर की टक्कर में 29 लोग मारे गये थे, उस कैंटर में 70 आदमी सवार थे। क्या ये culpable homicide not amounting to murder नहीं है और क्यों नहीं इस केस को उस तर्ज पर ऐग्जामिन किया जाना चाहिए जिस तर्ज पर दूसरे एक्सीडैंटल केस दर्ज होते हैं जहाँ पर धारा 304 लागू होती है वहां आप देखेंगे कि कॉयलेशन हुई है। एक कैंटर में 70 आदमी बैठे हुए हैं उनमें से 29 की मौत हो गई और उनमें से 35 घायल हैं और घायलों में से भी 5-6 की मौत हो चुकी है। इस तरह से 34-34 आदमी मारे गये। एक ड्राइवर एक तरह से मौत का सौदागर बन गया। उसके ऊपर आप 304 का पर्चा या 304 ए का पर्चा दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश कर रहे हैं क्यों न इस केस को as an example ऐग्जामिन किया जाये और कि 304 में culpable homicide not amounting to murder यह केस फिट होता है या नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूँगा कि जो पुलिस अथॉरिटी है या जो होम सैक्रेट्री है उनको इस प्रकार की हिदायतें दे दी जायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, भिन्न-भिन्न सम्मानित सदस्यों ने कई वाजिब प्रश्न उठाये हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार की ओर से अपने आपको भी उनकी भावनाओं से जोड़ता हूँ। Sir, I have already said in reply to an earlier question by Shri B.B. Batra कि जो रोड एक्सीडैंट डैथ हैं वह देश में एड्स से भी बड़ा किलर है। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो फिगर्ज दी गई हैं मैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारी आबादी देश की आबादी का 2 परसैंट है और देश की एक्सीडैंट की फिगर के मुकाबले हमारी जो ऐक्सीडैंट्स की फिगर दी गई है वह 5 परसैंट है। देश की आबादी के हिसाब से आज 2 गुणा ज्यादा एक्सीडैंट्स हो रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की चिन्ता जाहिर की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ड्राइविंग और रोड एक्सीडैंट्स हैं और सब बातों के साथ मैं अलग-अलग प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ड्राइविंग जहाँ और बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है वहीं वह व्यक्ति विशेष पर बहुत निर्भर करती है। एक बात जिसको स्व अनुशासन कहते हैं।

Sence of discipline and responsibility on the roads is a pre-requisite for safe driving on the roads. Government can, will do, can do and will continue to take harsh measures, take more steps. However there is no way the Government can, regulate or watch every vehicle plying on the road. There is a two-wheeler, four wheeler, six, eight or ten vehicles. Ultimately a sense of self-discipline has to prevail and that is an atmosphere that all of us have to work towards in propagating amongst our children, amongst the adults, amongst everybody who drives on the roads including the members of our families. We all need to know that helmets have to worn, We all need to know that seat belts are life saving devices. We all need to know that you cannot speak on a cell phone while you are driving. We all need to know that over-speeding kills. We all need to know that lane driving is sane driving. We all need to know that we also need to drive in a particular lane at a particular speed. We all need to know that we have to adhere to all traffic norms including not jumping red lights. If all of us were instill some sense of discipline amongst our own as also in the environment around us then the accidents can definitely be curtailed. Having said that Sir, there are two valuable suggestions that Ch. Sampat Singh has raised. One is regarding Oasis. Sir, abroad now, in many European Countries as also I think in United States, two devices have now been made compulsory by Governments for vehicles. And one is that if there is a sensor, if the driver is falling a sleep then the vehicle would make a noise and will try to wake up the driver or ultimately, now in Europe I am told that there are also vehicles fitted with devices that a vehicles will break and will slow it down so that if the driver is drowsy he/she will wake up. That is a good measure. As already pointed out, Sunder Committee was appointed by the Indian Parliament and the Report has been sent to various States for comments. The States will also sent their own comments and finally it will have to be universally applied across India and not in Haryana alone. One cannot restrict it to Haryana vehicles as the traffic is free across the Country. So it would have to be applied universally. Second was although the Hon'ble Excise and Taxation Minister would answer to Mrs. Sumita Singh's specific question qua opening of liquor vends on the National Highway on Roads. But I only want to say that similar devices are now available for drunken driving. If you are drunk and you sit on the steering wheel, the vehicle would not start. Those devices are also now available and some of the European Countries have now made it mandatory for the motor vehicles manufacturers, commercial vehicle manufacturers to install such devices. This is also a policy matter for the entire Country and I am sure Indian Parliament would be looking at the issue. They will be examining the issue. Sir, as far as specific issue was raised by both Ch. Sampat Singh as also by Shri B.B. Batra qua the incidents at near Siwani and Bhiwani where 29 people have lost their lives, I think there have been additional 2-3 casualities thereafter. All those pilgrims happened to belong to Kalayat, District Kaithal. One of them was from my Assembly Constituency also. Sir, although there is nor provision but considering the gravity of the accidents, Hon'ble Chief Minister, besides the amount that is available under the Rajeev Gandhi Beema Yojna, has also sanctioned a sum of Rs. 3 lacs to each of the victims. Ch. Sampat Singh said nothing has been paid. It is factually not correct. Rajeev Gandhi Beema Yojna money, according to my

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

knowledge, has been paid and remaining amount has also been sent by the Government. Yes, it is one of the incidents and Government cannot intervene in every case. Commercial Vehicles cannot be misused in this fashion. I have already said earlier, while intervening on replying to the question by Shri B.B. Batra, almost the issues that Government of India will examine. We will examine separately also as to the modalities and punitive measures that can be taken. Qua drunken driving, Rajya Sabha has already passed a legislation for qua making the punishment for drunken driving more stringent and the concerned Bill is now pending in the Lok Sabha. The whole aim of the Bill is to introduce a graded approach depending upon the level of alcohol that has been consumed by the driver which comes out on the test. Sir, Ch. Sampat Singh has also mentioned about the issue that the genesis of these accidents is lack of more private sector transportation facilities and Government sector transportation facilities available in the State. I completely agree with him. With your concurrence, Sir, But I also want to bring to his notice and the notice of the House that thrice the High Court has quashed the Transport Privatization Scheme of the State Government including the present one. For the last ten years, the State has been forming schemes and people who have vested interest have been challenging those schemes. It has been stayed and finally our latest scheme also, to my knowledge, has been now returned back and a new scheme would now have to be drafted afresh. The last scheme that we drafted, Ch. Sampat Singh had also praised it, I remember in the Vidhan Sabha that it will give opportunities of employment to our youth. It will provide better connectivity. But it was challenged in the High Court. Finally, the scheme has also lapsed and the new scheme is now under preparation. I can only assure him that we will do our best. We will rectify any possible defects.The intention of the Government is transparent and honest. We want that private sector should participate alongwith public sector. It should create opportunities of employment but more so it should create opportunities of better transportation facilities so that the people do not have to use commercial vehicles. Sir, he also raised the issue of no ambulances or other medical facilities being available. I want to clarify and point out that there is now a centralized number, the toll free number that has been provided for by the Government of Haryana. To my knowledge it is 102. 335 ambulances have been provided and 21 Advanced Life Support System, the bigger ambulances which also have a minor OT facility, have been provided already by the State Government. In Haryana, all CHCs have one ambulance, all hospitals have an ambulance and there is one ambulance available on two PHCs. That is what we are trying to do. Smt. Sumita Singh pointed the issue of VIP security vehicles. I have taken note of it. I will be passing necessary instructions to our Director General of Police and we will issue instructions in writing that no misbehaviour by any cop whether he is with an Administrative Service Officer or with a political person is permitted. He will not be permitted to harass in any manner any person big or small playing on the road. I can assure my learned friend that we will be issuing necessary instructions to Incharges of all security personnel. Sir, Shri Bharat Bhushan Batra also pointed out regarding Sainiwas case. I will take the details of the case lodged

and will pass it on to him since it is a specific matter. Now, I will request learned Excise & Taxation Minister..... (Interruption) Sir, I have answered to 9 questions already. 4 questions are left. 14 supplementaries have been raised. The precedent is for only two supplementaries. (Interruption) Let the Minister atleast answer.

श्री भारत भूषण बतरा : अनऑसर्ड क्वैश्चन यह है कि मंत्री जी, आप सिर्फ रिपोर्ट भेजेंगे, उससे बात नहीं बनती है।

There is an example and it was in the media also that eminent drunken drivers like Salman Khan, he was drunkard and he crashed so many persons. He was booked under 304. Then Sanjiv Nanda, he was under 304. Here a person who is taking 31 lives and the second thing is that they are not given any compensation. Then what is the solatium to the families. What will happen to the families ? In that case you are not assuring before the House that we will examine और इसमें 304 अगर बनेगी culpable homicide not amount to murder. Man should have knowledge कि अगर वह शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस हालत में ऐक्सीडैंट हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है और उसका थालान भी हो सकता है। इसी प्रकार 70 आदमियों को एक कैंटर में बिठाकर ले जाया जा रहा था और उसका ऐक्सीडैंट होने से 31 आदमी मौके पर ही मारे गये। गाड़ी चलाने वाले ड्राईवर को यह नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐक्सीडैंट हो जाता है तो उस पर 304 का केस बनेगा और उसे उसे सजा भी हो सकती है। इसलिए मेरी मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इसके लिए आप सरकार की तरफ से कोई ऐसी रिकमंडेशन करें कि कॉमर्शियल व्हीकल्ज का प्रयोग सवारी को ढोने में न किया जाये। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह उन 31 लोगों के लिए इंसाफ की बात होगी जो कि ऐक्सीडैंट में मारे गये थे।जिनकी फैमिली लुट गई हैं कम से कम उसके लिए दोषी लोगों को सजा तो मिले... that question remains still unanswered. (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

Mr. Speaker: I think this has been very lengthy discussion on this topic.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have already answered to Shri B.B. Batra's question second time also. I have said that use of commercial vehicles for passengers is a matter of a lot of concern. A very serious accident recently took place which has further highlighted the issue. I said what punitive measures can be taken as a matter of policy as also in the individual case, we will examine. I have already assured the House. May I now request learned Excise and Taxation Minister to answer to that part of the question because she can give better answer to the supplementary raised by Smt. Sumita Singh.

Smt. Kiran Choudhary: Hon'ble Speaker Sir, in regard to the query raised by our Hon'ble Member Smt. Sumita Singh Ji, I would like to tell her that these vends which are auctioned come under the command area and within the command area these vends can be placed anywhere else. It is not up to the department to say that you will place your vends in A B C D any of these places that is No. 1, No. 2, as far as vends are anywhere at religious place, anywhere that there is a school or as far as hospital are concerned, the fact of the matter is that there is a policy in this regard. However, in the future we have also to take it in consideration that these vends are also giving a large amount of revenue through which a lot of

[श्रीमती किरन चौधरी]

development work in the entire State is taking place. If, it is considered that we make a policy on that we are amenable to that matter but it is a fact that the department has nothing to do with where the vends are placed. It is not the department that places the vends on the National High Way.

प्रो.संपत सिंह : स्पीकर सर, वैसे तो इस इशू पर काफी डिस्कशन हो चुकी है लेकिन 2-3 बातें अभी भी रह गई हैं। एक तो मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि पिछले बजट सैशन के बाद जो 4 महीने बीते हैं उसमें सरकार ने क्या क्या स्टैप्स इस बारे में लिए हैं। जो स्टैप्स आलरेडी लिए गए थे उनके बारे में तो मंत्री जी ने हाउस में बता दिया है। स्पीकर सर, इसमें सबसे बड़ी अहम बात ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की हुई। पहले वाली पॉलिसी को हाईकोर्ट ने रिजैक्ट कर दिया और अब इस बारे में दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं। उस पॉलिसी को लाने से पहले से ही मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने भी करीब 30 सजैशन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में दिये थे। I appreciated that. उससे पहले कोई कंसल्टैंट भी इन्होंने इस बारे में लगाया था लेकिन उसने इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बुरी तरह से खिचड़ी बना दी थी कि बाद में उसे उन्हें जी.एम्स. और डी.सीज. को देनी पड़ी थी। मैंने इस बारे में सुझाव दिया था और उसे माना भी गया था। एक सजैशन मेरा उसमें यह था वह मैं बार बार कह रहा हूं। पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूं कि क्यों न हम केरला की पॉलिसी को स्टडी कर लें। केरला हमारे इंडिया के अंदर है। हम विदेशों की सड़कों और पॉपुलेशन पर नहीं जाएंगे। जहां तक ऐजूकेशन की बात है ऐजूकेशन के मामले में केरला को ऊपर माना जाता है लेकिन आज के दिन ऐजूकेशन का स्टैंडर्ड हमारा भी बढ़ रहा है। हमारे यहां भी ऐजूकेशन के आंकड़े 75-76 और 78 परसैंट पर पहुंच गए हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी और ओफिसर्ज एक बार केरला की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को पढ़ लें। वहां आज के दिन 2 हजार सरकारी बसें चल रही हैं और 32 हजार प्राइवेट बसें चल रही हैं। वहां आपको अनअथोराइज्ड व्हीकल एक भी नजर नहीं आएगी तो ऐसे में इस तरह के ऐक्सीडैंट्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, हम विदेशों में भी स्टडी के लिए जाते हैं तो यदि दूसरी स्टेट में एक अच्छी पॉलिसी चल रही है तो उस स्टेट की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की स्टडी क्यों नहीं कर सकते हैं, उसको ऐडौप्ट करने में क्या ऐतराज है ? रोड्स के बारे में भी मैं बार बार कह रहा हूं जैसे पार्किंग एरियाज, रैस्ट एरियाज और सर्विस एरियाज कहीं भी नहीं हैं बल्कि इन्क्रॉचमैंट्स है। किसी भी छोटे से छोटे शहर से होकर आप गुजरते हैं, चाहे वह हाइवे के ऊपर है। वहां दुकानदार दुकानें सड़कों पर आगे बढ़ा लेते हैं, रेहड़ी खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियां सवारियां लेने के लिए खड़ी हो जाती हैं। रास्ता छोड़ती नहीं हैं। गाड़ी आती है और एकदम उसके अंदर आकर लगती है। जब तक हम इन चीजों को दूर नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे जैसे रोड की इन्क्रॉचमैंट हो रही है, पार्किंग फैसिलिटी नहीं दी है, जगह जगह थ्री व्हीलर खड़े हैं। जब तक रैस्ट के लिए सड़क पर जगह नहीं देंगे और पैरीफूलर एरिया के बाद वाईडनिंग नहीं करेंगे, चाहे वह सड़क 20 फुट की हो या 30 फुट की हो इसके लिए आप सर्विस एरिया क्रिएट करें और कुछ किलोमीटर के बाद आप सड़कों को थोड़ा चौड़ा करें ताकि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है या ड्राईवर नैचुरल कॉल के लिए जाता है तो उसको ऐसी सुविधा तो मिले कि वह सही जगह पर गाड़ी को पार्क कर सके वरना उसको जहां भी जगह मिलेगी वह गाड़ी को खड़ी कर देगा। पहले ही सड़क पर इतना स्पेस नहीं होता है और उसके बाद चाहे आप 6, 8 और चाहे 10 बेज की सड़क बना दीजिए। जब तक आप ट्रैफिक रूल्ज को लागू नहीं करेंगे और गाड़ियों के लिए पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं देंगे, सर्विस एरिया नहीं देंगे, रैस्ट एरियाज नहीं देंगे तो इसने

चौड़े रोड्ज बनाने का कोई फायदा नहीं है। बर्मज की तो बरसात के दिनों में जितनी बुरी हालत होती है उसका तो आपको पता ही है। आप तो फील्ड में जाते ही रहते हैं। थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर हो गई तो समझो गाड़ी पलटा खा जाती है। जहां तक कैन्टर में 70 सवारियां भरी हुई थी, उस बारे में बात की गई है मैं नहीं कहता कि उस गाड़ी का ड्राईवर शराब पिये हुआ था या नहीं ? यह तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कैन्टर की सर्विस और उसमें 70 सवारियां भरी हुई थी तो वह अपने आप झोल मारेगा और थोड़ी सी गलती के कारण एक्सीडैंट हो गया और इतने सारे आदमी मर गये। कैजुअल्टी तो बहुत जबरदस्त है इससे सीरियस ऐक्सीडैंट नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए सरकार को रोड्ज सेफ्टी के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब हम सब तरफ से नम्बर वन पर आ रहे हैं तो क्यों नहीं हम रोड्ज सेफ्टी और हैल्थ की तरफ भी ध्यान दें। इसलिए इसकी तरफ आप पूरा ध्यान दें। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह लगभग वही जवाब है जो मार्च के सैशन में दिया गया था so we want some qualitative addition. इतने यंग वजीर बैठे हुए हैं, जैसे अभी राव नरेन्द्र सिंह जी के एक्सीडैंट के बारे में जिक्र किया गया तो मुझे तो जब यह मालूम हुआ तो बहुत चिन्ता हुई। राव नरेन्द्र सिंह जी हैं, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और श्री परमवीर सिंह जी हैं। ये सभी इतने बड़े हायली क्वालीफाईड मंत्री हैं। स्टेट के लिए इनका बहुत इम्पोरटैंट रोल है और इनका भविष्य में देश के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होना है। ऐसे लोगों को भी चोटें लग जाए तो बड़ा अफसोस होता है। इससे यह लगता है कि हमारे सिस्टम में कोई न कोई गलती अवश्य है इसलिए ऐसी गलती को अवश्य सुधारें क्योंकि हमारे हर आदमी की लाइफ प्रैशियस है जो हमारे मंत्री हैं वे तो और ज्यादा प्रैशियस हैं।

Mr. Speaker : Thank you. Hon'ble Minister you need to reply.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I have noted down the suggestion. Just a factual clarification, the accident of the Hon'ble Health Minister that took place, he did not take place on any road in Haryana territory nor on any Highway. It took place on the road i.e. called the Lake Road, Chandigarh where on the turning of the Lake Road while going towards the Raj Bhawan a truck of the Border Security Force had lost control and came in and hit into the Government Vehicle of the Minister causing the accident. Neither was the Minister's vehicle over speeding nor was it being escorted by any other vehicle.

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, फैसिलिटीज के बारे में पिछले सैशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि आप फैसिलिटीज प्रोवाईड करेंगें या नहीं ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I have already replied twice to Ch. Sampat Singh's queries as also to Shri Bharat Bhushan Batra's queries.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Bharat Bhushan Batra, Chairperson of the Committee on Petitions, will present the Second Report of the Committee on Petitions for the year 2012-2013.

Shri Bharat Bhushan Batra (Chairperson, Committee on Petitions) : Sir, I beg to present the Second Report of the Committee on Petitions for the year 2012-2013.

विधान कार्य —

1. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं.3) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह नलवा : अध्यक्ष महोदय, To save the time of the house आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज से सम्बन्धित बिल लेकर आए हैं मैं उनके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देकर हरियाणा में बहुत सी यूनिवर्सिटीज लेकर आए हैं। उन्होंने हर एरिया में यूनीवर्सिटीज बनाई हैं चाहे वह सैंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे डिफैंस यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या टैक्नीकल यूनिवर्सिटी हो या मैडीकल यूनिवर्सिटी हो। स्टेट में सब जगह ये यूनिवर्सिटीज फैलाई गई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि गवर्नमैंट आफ इंडिया से जो इंस्टीच्यूशन लेकर आए हैं उनमें आई.आई.एम. रोहतक है and I have visited there. अध्यक्ष महोदय, निफ्ट जो आपके एरिया में है वह भी बहुत बढ़िया इंस्टीच्यूशन सरकार लेकर आई है। इसी तरह सैंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं। आई.आई.टी. सैंटर के बारे में पिछले दिनों हमारे यंगर एम.पी. दीपेन्द्र हुड्डा जी का ब्यान आ रहा था कि यहां उसका कैम्पस होगा। इसी तरह सैकण्ड एम्स हम यहां लेकर आ रहे हैं। ये सारे टोप क्लास इंस्टीच्यूशंज आ रहे हैं। मैं डायरैक्टर, आई.आई.एम. से मिलकर आया था, डायरैक्टर या वाइस चांसलर निफ्ट से भी मिलकर आया था तो मैंने उनसे पहला प्रश्न पुट अप किया था कि हमारे यहां फैकल्टी की बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे यहां फैकल्टी की समस्या है, हमें टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की किसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो उन्होंने मुस्करा कर जवाब दिया था कि हमें इस तरह की किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आई.आई.एम. रोहतक के अंदर अगर टोप क्लास फैकल्टी आ सकती है, निफ्ट सोनीपत के अंदर अगर टोप क्लास फैकल्टी आ सकती है तो मुझे यह अचम्भा है कि दूसरी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? क्योंकि बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलेगा। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें फैकल्टीज पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो रोहतक यूनिवर्सिटी है उस एरिया से बहन जी आती हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी और दूसरे सदस्य भी वहां से आते हैं। वह एक सैंट्रल प्लेस है और हर जगह का बच्चा वहां आ सकता है। वहां के लिए चारों तरफ से बस सर्विसिज भी हैं। क्या रोहतक यूनिवर्सिटी में अच्छी फैकल्टीज नहीं आ सकती। आज वह यूनिवर्सिटी बी-प्लस से बी पर आ गई है। हमें मैन पावर की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, फैकल्टीज की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। रोहतक मैडीकल कालेज के बाद मैडीकल यूनिवर्सिटी बनी है और केवल दो पोस्टें ही मैडीकल फैकल्टीज की मंजूर की गई। थे दो असिसटैंट प्रोफैसर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के ही आए और इसके अलावा एक पोस्ट भी मैडीकल फैकल्टी की मंजूर नहीं हुई। हमारी मैडीकल यूनिवर्सिटी बन रही है जो कि सबसे ज्यादा प्रीमियर इन्स्टीच्यूट है। पी.जी.आई. चण्डीगढ़ से भी ज्यादा ओ.पी.डी. मैडीकल कालेज रोहतक की है। नाम मात्र का मैडीकल कालेज तो हमारे एरिया में अग्रोहा मैडीकल कालेज है जिसको 99 प्रतिशत ग्रांट सरकार दे रही है। उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से परचून की दुकान चलती है ऐसे वह मैडीकल कालेज चल रहा है। वह ऐसा मैडीकल कालेज है जहां नर्सिंग तथा दूसरी कॉमर्शियल ऐक्टीविटिज चल रही हैं और कोई हिसाब किताब नहीं है। उसमें मैडीकल कालेज वाली कोई बात ही नहीं है लेकिन रोहतक मैडीकल कालेज आज का नहीं है बहुत पुराना है। इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ठीक चल रही है लेकिन बाकी की यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज की जरूरत है। चाहे मैडीकल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे टैक्नीकल यूनिवर्सिटीज हैं या अदर सब्जैक्ट्स की यूनिवर्सिटीज हैं गॉड सेक पूरा प्रयास करें कि वहां फैकल्टीज में कोई कमी न रहे। टैक्नीकल एजूकेशन को छोड़कर सारे महकमें मंत्री महोदया के पास ही हैं इसलिए मंत्री महोदया इस तरफ स्पेशल ध्यान दें ताकि जहां वर्ष 2020 के अंदर जब

[प्रो. सम्पत सिंह नलवा]

भारत वर्ल्ड में यंग कंट्री होगा तो हरियाणा वर्ल्ड में सबसे बढ़िया स्टेट होगी। मैं बार-बार यही कहना चाहता हूं कि मैन पावर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और बाकी के साधन तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे पलवल हो, चाहे रिवाड़ी हो और चाहे रोहतक हो, चाहे पानीपत हो, हमारे चारों तरफ के हाईवेज 90-90 कि.मी. तक फोर या सिक्स लेनिंग हो रहे हैं। हर जगह ओवर ब्रिजिज भी बनने लग रहे हैं। मैट्रो स्टेशंज भी आ रहे हैं। इससे हमारे प्रदेश में हर तरह की इनवैस्टमैंट होगी जिससे जबरदस्त रोजगार भी आयेगा और स्टेट को रैवेन्यू भी बहुत मिलेगा लेकिन उसमें मैन पावर की बहुत खपत होगी उसके लिए हमें तैयार रहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं टैक्नीकल एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन आई.टी.आईज. या पोलिटैकनिक्स का कोलोबोरेशन प्राईवेट इण्डस्ट्रीज के साथ किया था उसमें देखने वाली बात यह है कि कितनी इण्डस्ट्रीज ने बच्चों को रोजगार दिया है। हमारे यहां नलवा क्षेत्र के अंदर नलवा गांव में आई.टी.आई. है वह भी किसी इण्डस्ट्री के साथ टाईअप है लेकिन वहां के एक भी बच्चे को पिछले तीन वर्ष से रोजगार नहीं मिला है। हम अभी पी.ए.सी. कमेटी के विजिट पर गुड़गांव और फरीदाबाद गये थे। वहां देखा कि कुछ इण्डस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और 100 प्रतिशत रोजगार उनसे टाईअप आई.टी.आईज. के बच्चों को दे रही हैं। मेरे पास पी.ए.सी. की रिपोर्ट है, मैं दिखा सकता हूं।

Mr. Speaker: Mr. Sampat Singh, you have come from universities to I.T.Is. We are already talking about universities not about I.T.Is. Please restrict yourself only to universities not I.T.Is.

प्रो. सम्पत सिंह : ठीक है सर, यूनिवर्सिटीज पर आते हुए अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि फैकल्टीज की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : जिसके हिसाब से यू.जी.सी. ने हरियाणा स्टेट को डॉयरैक्शंज दी हैं कि खास तौर से हमारे यहां ऑफ कैम्पस या ऑफ शोर कैम्पस नहीं खोले जायें। हमारा जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी ऐक्ट है उसमें हम पहले ही अमैंडमैंट लेकर आ चुके हैं और आज सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो हमारा एक्ट है उसमें हम अमैंडमैंट इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हरियाणा में इस समय हमारे पास बहुत अच्छा इंस्टीच्यूशनल नैटवर्क है जिसके अंदर हमारी करीब 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 693 कालेजिज हैं जिनमें गवर्नमैंट कालेजिज हैं, गवर्नमैंट एडिड कालेजिज हैं और सैल्फ फाईनांस कालेजिज भी हैं। इसी प्रकार से हमारे दो पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर भी हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीच्यूट्स हैं जो कि हरियाणा में इस समय बहुत अच्छी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से सरकार द्वारा न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि हॉयर एजुकेशन की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार से राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में हम न केवल नेशनल लैवल के बल्कि इंटरनैशनल लैवल के इंस्टीच्यूट्स भी लेकर आये हैं। जैसा कि मैं बार-बार कहती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा को शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, Hon'ble Member wanted to know about faculty.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं उसी पर आ रही हूं। सर, जहां पर हम हरियाणा को एजुकेशन का हब बनाना चाह रहे हैं वहां इंस्टीच्यूट्स के साथ-साथ हमारी यह मान्यता है कि ये दुकानें न बनें अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन की उपलब्धता भी हम सुनिश्चित

करना चाहते हैं जिसके लिए क्वालिटी टीचर और फैकल्टी हम यहां पर लेकर आयें। आज की अमैंडमैंट हम इसलिए लेकर आ रहे हैं to control the commercialization of higher education कि हम ऑफ कैम्पस और ऑफ शोर कैम्पस को इसमें अमैंड करेंगे ताकि हमारे जो अच्छे इंस्टीच्यूट्स हैं जो यूनीवर्सिटीज़ हैं और जो कालेजिज हैं उनमें बच्चे पढ़ते रहें और इसीलिए हम आज यह अमैंडमैंट लेकर आये हैं। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही सही है लेकिन हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट भी, रिसर्च सैंटर भी और सैंट्रल यूनीवर्सिटीज भी हरियाणा में लेकर आये हैं ताकि हमारी यूनीवर्सिटीज़ और कालेजिज के लिए अच्छी फैकल्टीज़ हमें अवेलेबल हो सके।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, Hon'ble Member talking about Government Universities. मंत्री जी, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि गवर्नमैंट यूनीवर्सिटीज़ में फैकल्टी पूरी नहीं है। आप इस बारे में जवाब दीजिए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि हम गवर्नमैंट यूनीवर्सिटीज़ में नये से नये पी.जी. कोर्सिज़ और जॉब ओरिएंटिड कोर्सिज़ लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि गवर्नमैंट यूनीवर्सिटीज़ में रेगुलर अप्वायंटमैंट भी होती रहे और रिसर्च वर्क भी बराबर होता रहे। जो हमारा नैट और पी.एच.डी. क्वालीफाईड स्टाफ है उनकी रेगुलर अप्वायंटमैंट चल रही है। कालेजिज के लिए भी हमारी 1035 लैक्चरार की रिक्वायरमैंट एच.पी.एस.सी. को गई हुई हैं और जैसे ही कैंडीडेट्स उपलब्ध होंगे, उसके बाद ये भर्तियां कर ली जायेंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आज हरियाणा में ग्रॉस एनरोलमैंट रेशो नेशनल ऐवरेज़ से बहुत ज्यादा बढ़िया है और हमारी पूरी कोशिश है कि न केवल इंस्टीच्यूट्स बल्कि उनमें पढ़ाने के लिए बढ़िया फैकल्टी हमारे पास टाईमली अवेलेबल हो जिसके लिए सरकार के स्तर पर कारगर रूप से प्रयास अनवरत जारी है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Education Minister in existing Clause 2. Now, the Education Minister will move an amendment.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

> "(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:
>
> Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: motion moved-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Question is-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

---

3. भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an amendment from the Education Minister in existing Clause-2. Now, the Education Minister may move an amendment.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Motion moved-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Question is-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

---

4. दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

> That the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

> That the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

> That the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an amendment from the Education Minister in existing Clause 2. Now, the Education Minister may move an amendment.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

> "(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:
>
> Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Motion moved-

> "(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Question is-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

---

5. चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

> That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

> That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

> That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an amendment from the Education Minister in existing Clause-2. Now, the Education Minister may move an amendment.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

> "(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:
>
> Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Motion moved-

> "(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:
>
> Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

Mr. Speaker: Question is-

"(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre:

Provided further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administered by the University".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

6. दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन ऑफ अनरैगुलेटड डिवेल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2012

Sir, I also beg to move-

> That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

> That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

> That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

> That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

> That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

7. दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2012

Sir, I also beg to move-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्पोरेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल, 2012

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, the Minister of State for Labour and Employment will introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 6 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

9. दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

> That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

> That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, बिल नं.9 के बारे में अपनी बात कहना चाहती हूं। इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि यह सिर्फ ऐप्रूव्ड कालोनीज में लगेगा या अनअप्रूव्ड कालोनीज में भी लागू होगा। सर, अनअप्रूव्ड कालोनीज के निवासी जब हमसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलने आते हैं तो हम उनको ये बोल देते हैं कि आपकी कालोनी अनअप्रूव्ड है इसलिए यह काम नहीं हो सकता। अब अगर हम उनसे टैक्स लेंगे तो मैं चाहती हूं कि मंत्री जी स्पेसिफाई करें कि प्रॉपर्टी टैक्स सारे एरियाज के लिए हैं या सिर्फ अप्रूव्ड एरियाज के लिए है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि गवर्नमैंट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे म्युनिसिपल काउंसिल की प्रॉपर्टीज हैं या इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे जिला परिषद की प्रॉपर्टीज हैं और रैंट पर चढ़ी हुई हैं वह भी पुराने समय से रैंट पर चढ़ी हुई हैं जिनका किराया केवल मात्र 300 या 400 रुपये महीने के हिसाब से वे लोग देते हैं और वह प्रॉपर्टीज सैंट्रली लोकेटेड एरियाज होते हैं। हरियाणा के तकरीबन सभी शहरों के अंदर ऐसा हो रहा है। वे लोग क्या करते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी के अंदर 20-25 हजार रुपये फीस जमा कराके उस प्रॉपर्टी को आगे सबलैट कर देते हैं और वह किसी के भी नाम हो जाती है और जिसके

[श्रीमती सुमिता सिंह]

नाम करते हैं वह आगे किसी से 15-20 लाख रुपये पगड़ी लेते हैं। इससे सरकार को रिवेन्यू का बहुत नुक्सान होता है। क्या सरकार इस बारे में कोई बिल या अमैंडमैंट लाने जा रही है ? सरकार ने आज से 5-6 साल पहले इस बारे में एक चिट्ठी भी निकाली थी कि जो भी किराएदार म्युनिसिपिल काउंसिल के अंदर 500 रुपये से कम किराया दे रहे हैं वे इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीदता है क्योंकि यदि ऐसी प्रॉपर्टी कोई खरीदता है तो आज के दिन जो भी डी.सी. रेट है वह उसे देना पड़ेगा। अब वे लोग मुफ्त के भाव में बैठे हुए हैं। आज के दिन वे 250-300 रुपये महीने के किराए पर बैठे हैं और अगर इसको इन्क्रीज भी करते हैं तो मेरे ख्याल में कानून के तहत 10 या 15 परसैंट से ज्यादा इन्क्रीज नहीं की जा सकती है, इस पर भी सरकार ध्यान दे, यह मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, learned Hon'ble Member has raised two questions. One is regarding its application of house tax to approved as also to unapproved areas. This is applicable to entire municipal area. When it comes to provision of amenities they are provided for a particular area like sewerage, drinking water, electricity *etc.* But when you are resident of a city, you are using amenities of an entire city. Municipal Tax is a tax for user of facilities of the entire city. As you know Sir, you are an esteemed Lawyer yourself; tax is not directed relatable to provisions of a particular service as upheld by the Hon'ble Supreme Court also. So, Municipal Tax would be applicable to the entire municipal area including any other un-approved area.

राव धर्मपाल (बादशाहपुर) : स्पीकर सर, अनएप्रूवड कालौनिज से जो प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स लिया जाता है तो उनके अगेंस्ट क्या उनको सुविधाएं भी दी जायेंगी ?

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, वे जो रोड टैक्स अलग से देते हैं जैसे गाड़ी, मोटर-साईकल और स्कूटर आदि का उसके बारे में बतायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैं इस बारे में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आपके माध्यम से मेरे काबिल दोस्त और माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि कोई भी रैजीडैंशिएल बिल्डिंग चाहे वह एप्रूवड एरिया में है या अन-एप्रूवड एरिया में है और जो 250 वर्ग गज तक की हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरे मंत्रीमंडल ने इस बारे में बड़ा consciously यह निर्णय लिया है। इसके बाद भी जो रैजीडैंशिएल एरिया पर टैक्स है वह बहुत ही नोमिनल सा है। एसैंशिएली तो वह कॉमर्शियल एरिया पर है। जहां तक रिबेट का प्रश्न है मॉन आर.सी.सी. बिल्डिंग हैं उन पर स्ट्रेटवे 25 प्रतिशत का रिबेट है। 25 प्रतिशत रिबेट इसलिए भी है कि अगर आपकी प्रोपर्टी 25 साल पुरानी है और जो सैल्फ आक्यूपाईड प्रोपर्टी है और 250 वर्ग गज से ज्यादा है उनको 50 प्रतिशत तक का टैक्स पर कन्सेशन है। 250 वर्ग गज के सैल्फ आक्यूपाईड सभी घर एक्जैमप्टिड हैं। 100 प्रतिशत रिबेट उन रैजीडैंशिएल बिल्डिंग्ज पर है जो 250 वर्ग गज तक हैं और जो owned by Ex-serviceman, family of deceased soldiers हैं, Ex-Para Military Force personnel है, उन्होंने यह पूछा है कि यह पूरे म्यूनिसिपल एरिया पर एप्लीकेबल होगा या ऐप्रूव्ड एरिया पर। यह पूरे म्यूनिसिपल एरिया पर लागू होगा। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बारे में जवाब दिया था। कोई भी ऐमेनिटीज जब आप प्रोवाईड करते हैं तो वह ऐप्रूव्ड कालौनी हो जाती है। जब आप उस शहर

के नागरिक हैं और पूरे शहर की एमेनिटीज आप यूज कर रहे हैं इसलिए Sir, the tax is never relatable to use of a particular service as I have already explained that to you. That debate got settled in the year 1953 by the Hon'ble Supreme Court much before I was born. They said the tax is not relatable to the provisions of a service. Tax is not relatable to providing of a particular service. We can't open the issue in the year 2012 in this august House. So, it is applicable to the entire State and the tax that has been imposed is extremely nominal. It is almost not there and the tax in commercial areas is also based on the life of the building, RCC structures etc. A details scheme has been formulated then only they have to pay tax. Sir, her second question was regarding sub-letting of municipal council's properties. It is not relatable to the current amendment. Hon'ble Member should send a separate notice qua that.

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम): स्पीकर सर, शहर और टाऊन की जो बात चल रही है उनमें अनएप्रूवड और एप्रूवड एरिया के डिवलपमैंट में फर्क क्यों किया जा रहा है ? उनसे टैक्स भी लिया जा रहा है। उनके वोट भी बने हुए हैं उनका म्यूनिसिपल काउंसिलर भी बनता है तो उनको फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाती। अनएप्रूव्ड कालोनिज की गलियों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर आने-जाने में बहुत मुश्किल होती है। जब वे लोग टैक्स दे रहे हैं तो उनके एरिया की इम्प्रूवमैंट क्यों नहीं हो पा रही है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, इस बारे में मैं कल इस हाउस में आन्सर दे चुका हूं। The Cabinet has already passed a resolution for regularization of these 13.00 बजे colonies. A Committee was constituted, report has come. Nearly 542, If I remember correctly, colonies have been asked to be regularized. Somebody went to the Hon'ble High Court and the Division Bench headed by the then Chief Justice has stayed further proceedings in the matter. I had assured earlier we will take every possible step and present all facts that we will provide all regular amenities in these colonies also so that they are regularized.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 13

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

10. दि हरियाणा म्युनिसिपल कार्पोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 21

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

11. दि पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रौड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

> That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

> That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak): Speaker Sir, effort of the Haryana State Agriculture Marketing Board well as Agriculture Department is commendable. We are an agriculture State and revolution is needed so far as the agricultural produce is concerned. In the concept of Poly Houses efforts should be made and farmers should be made vigilant and intelligent also to go for the Poly Houses. It has paid a dividend that our Hon'ble Chief Minister has also visited Israel and we are having a collaboration unit at Gharaunda also and it is going very fine. Thus, amendment is being made for a particular purpose that sense is to be granted, then licensee can go straight forward to the producer, to the farmer for a direct buying and provide all the facilities to the farmer like cleaning, packing, यह सारी फैसिलिटी प्रोवाईड करवा सकता है। The proposed amendment has been made in clause 7 at page 3 that after section 8A of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"*8B. Establishment of collection centre.*- The Chief Administrator may, from time to time, specify particular area or location or premises in notified area of any Market Committee as a dedicated collection centre for horticultural produce and other commercial crops, as may be notified by the State Government, from time to time. Further, the Chief Administrator may grant a licence on terms and conditions, as may be prescribed from time to time any person, as may be

found appropriate after examination of their credentials for purchase of horticultural produce and other such crops directly from farmers in such collection centre:"

Before putting or making my suggestion I would like to point out that the Chief Administrator may allow any person including a licence holder to provide facilities such a processing, packaging, sorting, grading, storage, sale and export, then this facility will come to the farmer also. But when the Chief Administrator will give a licence, such a intra-contradictory clause is there that the Chief Administrator may grant a licence on the terms and conditions as may be prescribed. Prescribe means according to the rules, according to the norms according to the section from time to time. Then in the second leg itself it is mentioned that 'as may be found appropriate after examination of their credentials'. These are contradictory and according to the norms when the licence is being granted a person is to negotiate directly with the farmer and secondly you are saying that after it is found appropriate after examination of their credentials. That will lead to ambiguity and it will lead to litigation when any case is being decided. So, my request is that the amendment I want to move is that in this clause, so far as wording- 'as may be found appropriate after examination of their credentials' may kindly be deleted. This is my submission.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा): सर, जैसे बत्तरा जी ने कहा कि अमेंडमेंट के फार रिचिंग फैक्ट्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि होर्टीकल्चर प्रोड्यूस और वैजीटेबल्ज दोनों चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। इस बारे में जिस समय एफ.डी.आई. का जिक्र आया था उस समय कुछ स्टडीज इधर-उधर से मैंने मंगवाई थी। उसमें देखा था जैसे फ्रूट्स के जो रेट हैं और जिस तरीके से रास्ते में फ्रूट खराब होते हैं। जैसे हमारे यहां आम का एग्जामपल आया था कि उसके कैरेज का सिस्टम ठीक न होने के कारण पिछले साल बंगाल और पाकिस्तान का आम तो जबरदस्त बिका था और हिन्दुस्तान का नहीं बिक पाया था। लेकिन गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की ट्राई यही थी कि यदि एफ.डी.आई. ऐग्रीकल्चर में आ जायेगी तो सहज ही कैरेज सिस्टम भी ठीक हो जायेगा। हमारे प्रदेश से भी फ्रूट्स को दूसरे स्टेट्स में 'as it is' ले जाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि इसके लिए कूलिंग सिस्टम वगैरह और टैम्परेचर मेन्टेनिंग सिस्टम की जरूरत होती है उस तरह का सिस्टम हमारे यहां नहीं है और यदि है भी तो बहुत कम मात्रा में हैं जो बहुत कोस्टली पड़ते हैं। आज सरकार जो यह अमेंडमेंट ला रही है इससे फार्मर के खेत के अंदर सैंटर खोल कर परचेजिंग कर सकते हैं, स्टोरिंग और प्रोसैसिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे किसानों को अच्छी सुविधा मिलेगी और यह शायद पी.पी.पी. मोड पर भी होगा। इसमें स्टडीज में यह भी था कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के दौरान फ्रूट्स के अंदर 35 परसैंट से 40 परसैंट तक लॉसिज़ हो जाते हैं। इसी प्रकार से वैजीटेबल्ज़ के बारे में था कि वैजीटेबल्ज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान 80 से 85 प्रतिशत के बीच लॉसिज़ हो जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा पैरीशेबल हैं अर्थात् फटाफट खत्म हो जाती हैं। आज अगर हमने सब्जी को तोड़ा हुआ है तो वह अगले दिन मुरझा जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अंदर क्रॉप्स में वैजीटेबल्ज़ भी आ जायेंगी। अगर नहीं हैं तो इसमें वैजीटेबल्ज़ को ज़रूर जोड़ लिया जाये because they are more perishable सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज़रायल के साथ घरौंडा में जो ग्रीन पार्क इस्टैब्लिश किया है उसकी जितनी ज्यादा ऐक्सटेंशन

[श्री सम्पत सिंह]

सर्विसिज़ हम दें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हालांकि गवर्नमैंट ने इस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी है लेकिन उस तरह की एक्सटैंसिव सर्विसिज़ जैसे 'नो हाऊ' की हैं जो टैक्नीकल सर्विसिज़ हैं उनकी आज ज्यादा ज़रूरत है। उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। वहां से ताज़ा चीज़ें मिलेंगी और उनमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। वहां की सब्जियां सभी प्रकार के कैमीकल्ज़ से फ्री होंगी जो कि एक प्रकार से पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां वहां होंगी। मैंने भी वह सैंटर देखा था। स्पीकर सर, वहां पर आपका भी आना-जाना रहता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के सैन्टर्ज़ की स्टेट के अन्दर ऐक्सटेंशन की जाये क्योंकि अभी तक ऐक्सटेंशन हम नहीं कर पाये हैं। जिस इंटैंशन से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर आये हैं इससे उतना उचित फायदा नहीं हो रहा है जितना कि वास्तव में होना चाहिए था। जब वहां जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर कितनी ज्यादा रिसर्च का सब्जैक्ट बन चुका है। अब ऐग्रीकल्चर सैक्टर सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं रह गया है। समय के हिसाब से सारी किस्म की क्रॉप्स हमें लगानी पड़ेंगी। चाहे वह ज़मीन पर पैदा हो रही हैं या चाहे वह दो फुट पर पैदा हो रही हैं या फिर चाहे वह 20 फुट पर पैदा हो रही हैं। अगर हम हर प्रकार की चीज़ें लगायेंगे तभी जाकर एग्रीकल्चर वॉयेबल हो सकता है। इसी कारण से हमारे जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. दोनों में एग्रीकल्चर सैक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। यह बुरी बात नहीं है क्योंकि सर्विस सैक्टर बढ़ रहा है और इण्डस्ट्रियल सैक्टर भी बढ़ रहा है यह बहुत अच्छी बात है। यह भी कारण है कि जो टोटल कम्पोजिट वर्क है अगर हम उसे देखेंगे तो उसके अंदर ऐग्रीकल्चर सैक्टर का योगदान कम आ जाता है। आज अगर हम भारत सरकार का जी.डी.पी. देखें तो वह महज़ 12 परसैंट ही रह गया है और एग्रीकल्चर का 16 परसैंट का रह गया है। इसके अंदर इसी तरह के रिवोल्यूशनरी स्टैप्स उठाने पड़ेंगे और इसी तरह की इन्वैस्टमैंट भी प्राईवेट सैक्टर की तरफ से जितनी ज्यादा से ज्यादा लाई जा सके, उतना ही अच्छा होगा। मैं तो सरकार को यही कहना चाहूंगा कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमैंट लेकर आयें ताकि ऐग्रीकल्चर को बूस्टिंग मिले। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने रिपोर्ट्स में देखा है कुछेक बड़ी सिख फैमलीज़ ऐसी हैं जो कि चावल और गेहूं का डॉयरैक्ट ऐक्सपोर्ट करते हैं। ये तो बड़े किसान हैं इसलिए वे ये सब कर सकते हैं लेकिन छोटा किसान ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि प्राईवेट सैक्टर के लोगों को एग्रीकल्चर सैक्टर से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वे इसमें ज्यादा से ज्यादा आयें जिससे हमारी फार्मिंग बढ़ेगी क्योंकि लैंड होल्डिंग दिन प्रति दिन कम होती जा रही है और उसके ऊपर मौसम की मार भी जब-तब पड़ती ही रहती है। जैसे इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगे भाव पर बिजली खरीद कर किसानों को अपनी फसल को लगाने और सम्भालने के लिए दी और अब परमात्मा ने बरसात कर दी है जिससे हमारी फसल का अच्छा फायदा हो गया है, अदरवाईज़ हमारी फसलें तो इस बार खत्म हो गई थी। इस प्रकार से एग्रीकल्चर सैक्टर में नेचुरल कैलेमिटीज़ और दूसरी चीज़ें बहुत आ जाती हैं इसलिए इस सैक्टर में जितनी ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमैंट की जाये, उतनी ही कम है।

Mr. Speaker : Valuable suggestions. Hon'ble Minister may respond.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir, I would like to say that we will consider all the amendments as suggested by Mr. B.B. Batra and Shri Sampat Singh ji about vegetables.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, he wants you to spend more funds on infrastructure.

Sardar Paramveer Singh : Sir, we are spending more because we are making an international market at Gannaur. We are spending wherever it is needed and we are doing our best.

Mr. Speaker : You mean to say that you will do it wherever it is required.

Sardar Paramveer Singh : Yes Sir.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Agriculture Minister in existing Section 8B of Clause 7. Now, the Agriculture Minister will move an amendment.

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh): Sir, I beg to move-

That in the existing Section 8B of Clause 7 of this Bill, the words "as may be found appropriate after examination of their credentials" may be deleted.

Mr. Speaker: motion moved-

That in the existing Section 8B of Clause 7 of this Bill, the words "as may be found appropriate after examination of their credentials" may be deleted.

Mr. Speaker: Question is-

That in the existing Section 8B of Clause 7 of this Bill, the words "as may be found appropriate after examination of their credentials" may be deleted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 7, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 8 and 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 8 and 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will move that the Bill as amended be passed.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Hon'ble Speaker Sir, there was a Calling Attention Motion by Shri Anil Vij and I think you are very kind to say that you will take it up if he is in the House. Government is ready with its reply on the Calling Attention Motion.

Mr. Speaker: Well, Mr. Vij said he will be coming to the House and will move his Adjourment Motion and Calling Attention Motions. But he himself is not present here.

Shri Randeep Singh Surjewala : You are very kind to call him in your Chamber. After considering his request, you instruct us to give reply. So, we are ready with our reply.

Mr. Speaker : I had promised him to reconsider my decision whereby I have disallowed the consideration thereof. But after talking to him, I have promised to allow him to discuss the issues with regard to resentment against the acquisition of land in District Rewari and also with regard to former Haryana Minsiter Shri Gopal Kanda, accused of abetting the suicide of former Air Hostess, Geetika Sharma. As he is not present in the House, therefore, no need to take-up them.

Shri Randeep Singh Surjewala : Very well, Sir.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am highly thankful to you all for extending cooperation to me for smooth running and conducting the proceedings of this House. I am also thankful to all the press representatives, government officers and other officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned sine die.

13.17 hrs. (The Sabha then *adjourned sine die.)

50549—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh